



**प्रथम
FIRST**

**अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

2017-2018

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई, July, 2017

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2017-2018.

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2017-2018.

वर्ष 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के तीसरे बैच में 61 अनुदान मांगें तथा 3 विनियोग हैं। ₹11,166.18 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹10,647.45 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹517.72 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹101 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The First Batch of Supplementary Demands for Grants for 2017-18 includes 61 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹11,166.18 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹10,647.45 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregate to ₹517.72 crore. Besides, token provision of ₹101 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
निम्नलिखित हेतु मैं. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. को सेतु ऋण के लिए (i) अगस्त एवं सितंबर, 2017 को देय सरकारी गारंटीकृत बांड की अदायगी (₹250 करोड़) और (ii) कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं आदि को देनदारी का भुगतान (₹110.26 करोड़)।	For Bridge Loan to M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOCL) towards (i) repayment of the Government Guaranteed Bonds due in August & September 2017 (₹250 crore) and (ii) payment of dues to employees/suppliers etc. (₹110.26 crore).	...	360.26	360.26
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
जेम एसपीवी कंपनी के कार्यचालन खर्च के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting additional requirement as Grants-in-aid General for operational expenses of GeM SPV company.	40.00	...	40.00
12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) वस्तु और सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को बजटीय सहायता देने के लिए।	(a) For providing budgetary support to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim under Goods & Services Tax Regime.	200.00	...	200.00
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) वस्तु और सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को बजटीय सहायता देने के लिए (₹1800 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय औद्योगिक कोरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास के अंतर्गत	(b) For providing (i) budgetary support to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim (₹1800 crore) under Goods & Services Tax regime and (ii) Grants for creation of Capital			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10 करोड़)।	Assets under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT) (₹10 crore).	1,800.00	...	1,800.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत दालों की खरीद के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing Grants-in-aid General for procurement of pulses under the scheme Price Stabilisation Fund.	500.00	...	500.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
निम्नलिखित के लिए (i) स्वच्छता कार्य योजना (ii) अन्य प्रभार के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि।	For (i) Swachhta Action Plan (ii) Investors' Education and Protection Fund under Other Charges.	40.00	...	40.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय	19 Ministry of Defence (Misc.)			
फुलवारिया मार्ग के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए रक्षा सम्पदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्ड को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing additional Grants for creation of Capital Assets to Cantonment Boards under Defence Estates Organisation towards construction/widening of Phulwaria Marg.	36.82	...	36.82
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करना के लिए (i) भीम के जरिए डिजिटल भुगतान का संवर्धन (₹50 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹50 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) promotion of digital payment through BHIM (₹50 crore) (ii) Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) (₹50 crore).	100.00	...	100.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
मध्यस्थता पंचाट के कारण राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हेतु मुख्य निर्माण कार्य पर व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on Major Works for National Zoological Park arising out of Arbitration award.	...	0.67	0.67
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30. व्यय विभाग	30 Department of Expenditure			
व्यय विभाग के सम्मेलन भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए।	For repair and renovation of Conference Halls of Department of Expenditure.	2.00	...	2.00
35. अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
(क) वस्तु एवं सेवा कर के लिए जागरूकता हेतु प्रभावी प्रचार के लिए (₹250 करोड़)। जीएसटीएन	(a) For effective publicity for GST awareness (₹250 crore), DG Systems for			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को अग्रिम प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान (₹99.34 करोड़) तथा जीएसटीएन के लेखाकरण पोर्टल हेतु (₹37.9 करोड़)।	payment of advance user charges to GSTN (₹99.34 crore) and accounting portal for GST (₹37.09 crore).	386.43	...	386.43
(ख) खरगर मुंबई में सीआईजीसीओ से तैयार रिहायशी क्वार्टरों की खरीद।	(b) For purchase of ready built residential quarters at Kharghar, Mumbai.	...	163.57	163.57
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
55. पुद्दुचेरी को अंतरण	55 Transfers to Puducherry			
2016-17 में सूखा के कारण पुद्दुचेरी के लिए अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय टीम द्वारा अनुशंसित क्षतिपूर्ति के कारण व्यय पूरा करना।	To meet expenditure on account of compenstation recommended by Inter-Ministrial Central Team for Puducherry in wake of drought 2016-17.	17.70	...	17.70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas			
राज्य सरकारों को विभेदक रायल्टी के भुगतान के लिए अतिरिक्त सामान्य अनुदान देने के लिए।	For providing additional Grants-in-aid General for payment of differential royalty to State Governments.	7,000.00	...	7,000.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	10,122.95	524.50	10,647.45
3. अनुदान की पूरक मांगों के इस बैच में ₹517.72 करोड़ हेतु तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/ वसूलियों अथवा तदनुसूची बचतों से संतुलित किया जाना है। ये मदें निम्नानुसार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹517.72 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकनीकी अनुदानों की पूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (i) पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर के तहत निधि (₹12.85 करोड़) (ii) पौध संरक्षण और पादप संगरोध उप-मिशन के अंतर्गत मोटर यान के लिए आवश्यकता (₹2.02 करोड़)।	For providing additional (i) funds under Machinery and Equipment under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quaratine (₹12.85 crore) (ii) requirement towards Motor Vehicles under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quaratine (₹2.02 crore).	...	12.85	12.85
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
सीपीडब्ल्यूडी कोलकाता के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting the additional requirement of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics under Major Works towards payment of CPWD, Kolkata.	...	1.39	1.39

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
(क) सब्सिडी प्रदान करने के लिए (i) चीनी मिलों को कम ब्याज पर ऋण देने की स्कीम, 2015 के अंतर्गत ब्याज माफी के लंबित दावों का निपटान करना (₹6.36 करोड़) (ii) गन्ने की लागत प्रतिसंतुलित करने और किसानों को देय गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान के लिए चीनी मिलों को (₹23.10 करोड़)।	(a) For providing subsidy to (i) clear the pending claims of interest subvention under the scheme for extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹6.36 crore) (ii) Sugar Mills to offset cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers (₹23.10 crore).	29.46	...	29.46
(ख) खाद्य भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets for construction of food storage godowns.	22.65	...	22.65
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services			
लोक अदालत, कोलर की वजह से भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान हेतु।	For payment towards land acquisition arising out of Lok Adalat, Kolar.	...	80.00	80.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को अतिरिक्त राशि अंतरण के लिए।	a) for transferring additional amount to Senior Citizen Welfare Fund.	64.43	...	64.43
(ख) अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान के लिए।	(b) Required towards Subscription to African Development Fund (AfDF).	34.00	...	34.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना - एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन।	For meeting additional expenditure towards Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - Establishment of All India Institute Of Medical Science (AIIMS) type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals.	...	132.90	132.90
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
51. दादरा और नगर हवेली	51 Dadra and Nagar Haveli			
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य के हिस्से के रूप में सिलवासा नगर परिषद हेतु पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान जारी करने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for release of Grants for creation of capital assets for Silvassa Municipal Council as UT share for implementation of Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban).	5.00	...	5.00
(ख) एकीकृत बाल विकास स्कीम कार्यकर्ताओं के अंतर्गत अनुपूरक पोषण स्कीम के लिए पंचायत को सामान्य	(b) For releasing Grants-in-Aid General to Panchayat for supplementary nutrition			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान जारी करने के लिए।	scheme and for additional honorarium under Integrated Child Development Scheme functionaries.	2.00	...	2.00
(ग) निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2015 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी की सहायता जारी करने के लिए।	(c) For release of assistance of interest subsidy under Investment Promotion Scheme-2015.	1.40	...	1.40
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60 श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
बेहतर समाधान, बचावकारी मध्यस्थता, श्रम कानून को कारगर रूप से लागू करने, मुख्य श्रम आयुक्त के लिए मशीनरी हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए।	For meeting the additional requirement towards Machinery for Better Conciliation, Preventive mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner.	...	19.00	19.00
कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70 कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
कर्मचारी चयन आयोग के लिए कार्यालय आवास की खरीद।	For purchase of office accommodation for Staff Selection Commission.	...	0.08	0.08
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94. वस्त्र मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से अपने कामगारों की संशोधित मजदूरी के भुगतान करने के कारण ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण के रूप में संस्वीकृत आकस्मिकता अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए।	For recoupment of Contingency Advance sanctioned as loan to British India Corporation Limited on account of payment of revised wages to its workers arising out of the Hon'ble Allahbad High Court order.	...	12.00	12.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (1) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास (₹2.04 करोड़) (ii) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹0.10 करोड़) और (iii) मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति (₹0.50 करोड़) और (2) विशेषरूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.50 करोड़)।	For providing (1) Grants-aid-General under the schemes (i) Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (₹2.04 crore) (ii) Pre Matric Scholarship (₹0.10 crore) and (iii) Post Matric Scholarship (₹0.50 crore) and (2) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (₹0.50 crore).	3.14	...	3.14
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
97 शहरी विकास मंत्रालय	97 Ministry of Urban Development			
सभागार में विशेषीकृत प्रणालियों के रखरखाव और एमएसीपी, महंगाई भत्ता और कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के बकाया का भुगतान।	For maintenance of specialized systems in Auditorium and payment of arrears of Modified Assured Career Progression, Dearness Allowances and increment of work charged staff.	4.00	...	4.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
98 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General under National Hydrology Project.	8.00	...	8.00
(ख) निम्न प्रदान करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹36.71 करोड़) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत (ईएपी घटक) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹36.71 करोड़) (कार्यक्रम घटक)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General (₹6 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹36.71 crore) under National Hydrology Project (EAP Component) and (ii) Grants-in-aid General (₹6 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹36.71 crore) under National Hydrology Project (Programme Component).	85.42	...	85.42
कुल तकनीकी	Total Technical	259.50	258.22	517.72
4. नीचे दी गई मदों के संबंध में 1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान का भी प्रस्ताव है, जिनके तहत दर्शाए गए व्यय को संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जो भी मामला हो, की बचतों के विनियोग से पूरा किया जाना है।	4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक अनुदानों की पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
1. कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare			
(क) अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (1) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत कपास विकास निदेशालय को लघु निर्माण कार्य के तहत निधि (₹0.43 करोड़) (2) निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (₹7.90 करोड़) (ii) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (₹16 करोड़) (iii) हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना (₹11.50 करोड़)।	(a) For providing additional (1) funds under Minor Works to Directorate of Cotton Development under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹0.43 crore) (2) Grants-in-aid General towards (i) National Project on Management of Soil Health and Fertility under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹7.90 crore) (ii) Parampragat Krishi Vikas Yojna under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹16 crore) (iii) Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Vikas Yojna (₹11.50 crore).	35.83	...	35.83
(ख) सामान्य घटक के लिए सामान्य अतिरिक्त सहायता अनुदान देने के लिए (₹22 करोड़), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹5 करोड़) और जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹3 करोड़) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for General Component (₹22 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹5 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹3 crore) under Swachhta Action Plan of Green Revolution-Krishonnati Yojna.	30.00	...	30.00

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (₹100 करोड़) (ii) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (₹15 करोड़) (iii) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (₹28.22 करोड़) (iv) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत तिलहन और ऑयल पाम प्रौद्योगिकी मिशन (₹9.05 करोड़) और (v) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन (₹30 करोड़)।	(c) For providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under (i) Mission for Integrated Development of Horticulture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹100 crore) (ii) National Food Security Mission under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹15 crore) (iii) National Mission for Sustainable Agriculture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹28.22 crore) (iv) Technology Mission of Oilseeds and Oil Palm under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹9.05 crore) and (v) Sub-Mission on Agriculture Extension under; Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹30 crore).	182.27	...	182.27
(घ) सामान्य सहायता अनुदान देने के लिए (i) डीजल सब्सिडी (₹21.35 करोड़) (ii) हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना के तहत एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु (₹125.60 करोड़) (iii) हरित क्रांति - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के लिए (₹36 करोड़)।	(d) For providing Grants-in-aid General (i) under Diesel Subsidy (₹21.35 crore) (ii) for implementation of Integrated scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹125.60 crore) (iii) for Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹36 crore).	182.95	...	182.95
(ङ) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत एकीकृत कृषि जनगणना और सांख्यिकी मिशन के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान देना।	(e) For providing Grants-in-aid General towards implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution Krishonnati Yojna.	0.90	-	0.90
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
स्वच्छता कार्य योजना के लिए आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹0.01 करोड़)।	For providing additional Grants-in-aid General under the scheme ICAR Headquarter Administration for Swachhta Action Plan (₹0.01 crore).	0.01	...	0.01
3 पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing Grants-in-aid General under the scheme Dairy Processing and Infrastructure Development Funds.	37.00	...	37.00
(ख) स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing Grants-in-aid General to National Fishery Development Board under Swachhta Action Plan.	1.00	...	1.00
(ग) सामान्य सहायता अनुदान देना (₹21 करोड़) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत एससीएसपी के तहत अनुदान (₹5.50 करोड़)।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹21 crore) and Grants under SCSP (₹5.50 crore) under the scheme Livestock Census and Integrated Sample Survey.	26.50	...	26.50
(घ) पशुधन गणना और एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान देना।	(d) For providing Grants-in-aid General under the scheme Livestock Census and Integrated Sample Survey.	1.00	...	1.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ड) निम्नलिखित हेतु मुख्य निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त निधियां देना (i) लघु पशुधन संस्थान (₹1.50 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के लिए नस्ल सुधार संस्थान (₹2.40 करोड़)।	(e) For providing additional funds under Major Works towards (i) Small Livestock Institutes (₹1.50 crore) and (ii) Breed Improvement Institutes (₹2.40 crore) for Swachhta Action Plan.	...	3.90	3.90
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
निम्नलिखित के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देने के लिए (i) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹28 करोड़) (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलुरु (₹28 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹24 करोड़)।	For providing Grants for creation of Capital Assets under (i) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹28 crore) (ii) National Institute of Unani Medicine, Bengaluru (₹28 crore) and (iii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹24 crore).	80.00	...	80.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 रसायन और उर्वरक विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
स्वच्छता कार्य योजना के लिए।	For Swachhta Action Plan.	0.16	...	0.16
7 उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए (i) पेशेवर सेवाओं के लिए (₹4.10 करोड़) और आईटी संबंधी व्यय हेतु (₹22.20 करोड़)।	For implementing Direct Benefit Transfer (DBT) in fertilisers Subsidy (i) for Professional Services (₹4.10 crore) and (ii) for IT related expenditure (₹22.20 crore).	26.30	...	26.30
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) विशेष प्रचालन के लिए सब्सिडी के अंतर्गत प्रावधान हेतु।	(a) For provision under Subsidy for Special Operation.	200.00	...	200.00
(ख) क्षेत्रीय सम्पर्कता स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets under Regional Connectivity Scheme.	200.00	...	200.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
स्वच्छता कार्य योजना के लिए।	For Swachhta Action Plan.	0.10	...	0.10
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय पूरा करने के लिए (i) सचिवालय (₹0.10 करोड़) और (ii) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय (₹0.02 करोड़)।	(a) For meeting expenditure on Swachhta Action Plan of (i) Secretariat (₹0.10 crore) and (ii) Central Secretariat Library (₹0.02 crore).	0.12	...	0.12
(ख) अतिरिक्त निधि देने के लिए (1) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय	(b) For providing additional (1) Grants-in-aid General towards (i) National			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विज्ञान संग्रहालय परिषद (₹27.97 करोड़) और विभिन्न संग्रहालयों को स्वच्छता कार्य योजना (₹0.25 करोड़) (ii) थिएटर ओलंपिक 2018 के लिए अकादमी को सहायता और विभिन्न कार्यशालाएं, थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा सार्क देशों में आयोजित किए जाने वाले उत्सव (₹23 करोड़) और विभिन्न अकादमी और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को स्वच्छता कार्य योजना के लिए (₹0.75 करोड़) (iii) बौद्ध तिब्बत संस्थाओं और स्मारकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों को स्वच्छता कार्य योजना (₹0.75 करोड़) (iv) पुस्तकालयों को सहायता स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकालयों को स्वच्छता कार्य योजना (₹0.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रूपरेखा मिशन नामक नई अनुमोदित परियोजना के लिए कला-संस्कृति विकास योजना ((₹150 करोड़) (2) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) अकादमियों को सहायता (₹32.92 करोड़) और (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹20.81 करोड़) (3) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और प्रदर्शनी संबंधी चालू दौरा के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत विदेश यात्रा खर्च के तहत व्यय (₹0.15 करोड़) (4) विभिन्न स्कीमों के लिए स्वच्छता कार्य योजना के तहत व्यय (₹0.63 करोड़)।	Council of Science Museums (₹27.97 crore) and Swachhta Action Plan to various Museums (₹0.25 crore) (ii) Support to Academies for Theatre Olympics, 2018 and various workshops, theatres, festivals to be organized in SAARC Countries by National School of Drama (₹23 crore) and for Swachhta Action Plan to various Academies and Zonal Cultural Centres (₹0.75 crore) (iii) for Swachhta Action Plan to various organisations falling under Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹0.75 crore) (iv) for Swachhta Action Plan to various Libraries under the scheme support to libraries (₹0.50 crore) (v) Kala Sanskriti Vikas Yojana for newly approved project National Mission on Cultural Mapping & Roadmap (₹150 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets to (i) Support to Academies (₹32.92 crore) and (ii) Support to Museums (₹20.81 crore) (3) expenditure under Foreign Travel Expenses under National Archives of India for ongoing visit on Cultural Exchange Programme and exhibitions (₹0.15 crore) (4) expenditure under Swachhta Action Plan towards various schemes (₹0.63 crore).	257.73	...	257.73
(ग) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रदर्शनी/सेमिनार आयोजित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Grants-in-aid General under the scheme National Archives of India for holding exhibitions/seminars in North Eastern Region.	2.00	...	2.00
(घ) कला संस्कृति विकास योजना स्कीम के अंतर्गत डंडी स्मारक के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु।	(d) For providing additional funds under Major Works under the scheme Kala Sanskriti Vikas Yojana for construction of Dandi Memorial.	...	20.00	20.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
नेशनल मारीटाइम फाउंडेशन को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants-in-aid to National Maritime Foundation.	1.50	...	1.50
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT AND NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development and North Eastern Region			
(क) क्षमता निर्माण और प्रचार स्कीम के अंतर्गत	(a) For meeting expenditure on account of			

		(₹ करोड़ में In ₹ Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वच्छता कार्य योजना के कारण व्यय पूरा करने के लिए।	Swachhta Action Plan under the scheme Capacity Building & Publicity.	7.00	...	7.00
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए निधियां देने हेतु (i) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (₹5 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (₹5 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर परिषद (₹8.66 करोड़)।	(b) For providing funds for Swachhta Action Plan under (i) North East Rural Livelihood Project (₹5 crore) (ii) North Eastern Community Resource Management Project (₹5 crore) and (iii) North Eastern Council (₹8.66 crore).	18.66	...	18.66
(ग) अव्ययगत केन्द्रीय संसाधन पूल-राज्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए निधियां प्रदान करने हेतु।	(c) For providing funds for Swachhta Action Plan under Non-Lapsable Central Pool of Resources - State (NLCPR -State).	80.00	...	80.00
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (1) निम्नलिखित को सहायता अनुदान वेतन (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (₹15 करोड़) (ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन रोपण विकास निगम (₹125.72 करोड़) और (iii) भारतीय वन्य जीवन संस्थान को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.70 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid Salaries to (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹15 crore) (ii) Andaman & Nicobar Islands Forests Plantation Development Corporation (₹125.72 crore) and (iii) Grants for creation of Capital Assets to Wildlife Institute of India (₹1.70 crore).	142.42	...	142.42
(ख) जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under Climate Change Action Plan.	5.00	...	5.00
(ग) एकीकृत वन्य वास विकास को सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Integrated Development of Wildlife Habitats (EAP).	10.00	...	10.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए।	(a) For implementation of Swachhta Action Plan.	0.25	...	0.25
(ख) एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए।	(b) For reimbursement of MDR charges.	200.00	...	200.00
(ग) भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत जीआईजेड को सेवा कर के लिए प्रतिपूर्ति हेतु।	(c) For reimbursement towards Service Tax to GIZ under Indo-German Bilateral Development Co-operation.	8.00	...	8.00
(घ) सांसदों के लिए मोटर गाड़ी खरीदनी हेतु अग्रिम।	(d) Advances for purchase of Motor Conveyance etc. for MPs.	...	0.24	0.24
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
वोडाफोन, कैर्न और वेदांता द्वारा केन्द्र सरकार के विरुद्ध दायर किए गए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामले के निपटान में व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure in pursuing international arbitration case instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Union Government.	42.00	...	42.00

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
(क) निम्नलिखित के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) लखनऊ में कार्यालय भवन (₹20 करोड़) और (ii) इर्नाकुलम कोचि में कार्यालय परिसर (₹7.30 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards construction of (i) Office Building at Lucknow (₹20 crore) and (ii) Office Complex at Ernakulam, Kochi (₹7.30 crore).	...	27.30	27.30
(ख) माजुरा गेट सूरत में 58 आवासीय क्वार्टर और सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards construction of 58 residential quarters and Community Hall, Majura Gate, Surat.	...	5.97	5.97
38 ऋण की अदायगी	38 Repayment of Debt			
निम्नलिखित की अदायगी हेतु (i) नकद प्रबंधन हुंडियां (₹1,50,000 करोड़) और (ii) बाजार स्थिरीकरण हुंडियों/बांडों के अंतर्गत राजकोषीय हुंडियां/बांड (₹1,00,000 करोड़)।	For repayment of (i) Cash Management Bills (₹1,50,000 crore) and (ii) Treasury Bills/ Cash Management Bills under Market Stabilisation Bills/Bonds (₹1,00,000 crore).	...	2,50,000.00	2,50,000.00
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States			
संविधान के भाग IX और भाग IXक में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing funds under the scheme Grants to areas not covered by Part IX and Part IX A of the Constitution.	500.00	...	500.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	41 Ministry of Food Processing Industries			
निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) मानव संसाधन और वर्ल्ड फूड इंडिया संस्था 2017 स्कीम को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹15.75 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत (₹0.07 करोड़)।	For providing (i) additional Grants-in-aid General to scheme for Human Resource and Institutions for World Food India, 2017 (₹15.75 crore) and (ii) funds for implementation of Swachhta Action Plan various schemes (₹0.07 crore).	15.82	...	15.82
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-एम्स की तरह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल सह-शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन के तहत मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - Establishment of All India Institute of Medical Science (AIIMS) type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals for procurement of Machinery & Equipment.	...	400.00	400.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46 गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए।	For setting up to Project Monitoring Unit.	0.50	...	0.50
47 मंत्रिमंडल	47 Cabinet			
सिनर्जी परियोजनाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने के लिए।	For release of Grants for creation of Capital Assets under Synergy Projects.	25.00	...	25.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
48 पुलिस	48 Police			
(क) संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 0.56 करोड़) और मानव तस्करी विरोधी क्रियाकलापों के लिए प्रशासनिक खर्च के लिए (₹ 0.70 करोड़)।	(a) For providing funds to Union Territories without legislature towards Grants-in-aid General (₹0.56 crore) and for Administrative Expenses for Anti Human Trafficking Activities (₹0.70 crore).	1.26	...	1.26
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) सीमा बाहरी चौकी का निर्माण (₹ 200 करोड़) (ii) सीआरपीएफ द्वारा कार्यालय भवन/रिहायशी भवन के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹ 146.50 करोड़) (iii) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के लिए कार्यालय भवन (₹ 27.80 करोड़) (iv) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन (₹ 9.20 करोड़)।	(b) For (i) Construction of Border Out Posts Works (₹200 crore) (ii) Swachhata Action Plan for office Building/Residence Building by CRPF (₹146.50 crore) (iii) office building for Central Academy for Police Training (₹27.80 crore) and (iv) office building for Bureau of Police Research and Development (₹9.20 crore).	...	383.50	383.50
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
49 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
पोर्टब्लेयर में रनवे के विस्तार के संबंध में मध्यस्थता पंचाट संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on Arbitration Awards in respect of extension of runways at Port Blair.	...	7.08	7.08
52 दमन और दीव	52 Daman and Diu			
दीव जिला में फिशिंग प्लेटफार्म एवं 92 मीटर लंबी पाइल जेटी के निर्माण के लिए कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	For meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92 metres long Pile Jetty at Diu District.	...	3.00	3.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) नवोदय विद्यालय समिति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 300 करोड़) और सर्वशिक्षा अभियान (₹ 117.19 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General under the scheme Navodaya Vidyalaya Samiti (₹300 crore) and Sarva Shiksha Abhiyan (₹117.19 crore).	417.19	...	417.19
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) एसएसए स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 283.44 करोड़) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹70 करोड़) और (ii) आरएमएसए स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.20 करोड़)।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Sarva Shiksha Abhiyan (₹283.44 crore) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹70 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹1.20 crore).	354.64	...	354.64
(ग) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65 करोड़) और आरएमएसए स्कीम के अंतर्गत (₹ 14.90 करोड़) और	(c) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (₹65 crore) and under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.13 करोड़)।	Abhiyan (₹14.90 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹7.13 crore).	87.03	...	87.03
(घ) सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	(d) For providing Grants-aid-General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan.	0.10	...	0.10

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

58 उच्चतर शिक्षा विभाग

58 Department of Higher Education

(क) (1) निम्नलिखित के लिए (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 183.80 करोड़) (ii) औरविले प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 10 करोड़) और (2) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र स्कीम के लिए लघु निर्माण कार्य और रखरखाव (₹ 2 करोड़)।

(a) For (1) providing (i) Grants-in-aid General under the scheme Grant to Central Universities (₹183.80 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Auroville Management (₹10 crore) and (2) Minor Works, Maintenance for the scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres (₹2 crore).

195.80 ... 195.80

(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (1) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 11.45 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 80 करोड़) और (iii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1.40 करोड़) (2) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 6.55 करोड़) (ii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1 करोड़) (3) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 7 करोड़)।

(b) For providing (1) Grants-in-aid General under the scheme (i) National Testing Agency (₹11.45 crore) (ii) Support to Indian Institutes of Management (₹80 crore) and (iii) Swachhta Action Plan (₹1.40 crore) (2) Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) National Testing Agency (₹6.55 crore) and (ii) Swachhta Action Plan (₹1 crore) (3) Grants-in-aid Salaries under the scheme National Testing Agency (₹7 crore).

107.40 ... 107.40

(ग) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए (i) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 12.15 करोड़) और (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 416.20 करोड़)।

(c) For providing (i) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹12.15 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Grants to Central Universities (₹416.20 crore).

428.35 ... 428.35

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

59 Ministry of Information and Broadcasting

(क) स्वायत्तशासी निकायों के लिए स्वच्छता कार्य योजना।

(a) Swachchata Action Plan for Autonomous Bodies.

0.22 ... 0.22

(ख) प्रसार भारती के लिए स्वच्छता कार्य योजना हेतु।

(b) For Swachchata Action Plan for Prasar Bharti.

0.10 ... 0.10

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) ग्रामोद्योग अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional requirement as Grants-in-aid General under Village Industries Grant.	24.75	...	24.75
(ख) ग्रामोद्योग अनुदान के तहत अनुसूचित जाति (₹ 16.23 करोड़) और अनुसूचित जन जाति (₹ 8.80 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional requirement under Village Industries Grant as Grants-in-aid General under SC Component (₹16.23 crore) and ST Component (₹8.80 crore).	25.03	...	25.03
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
66 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	66 Ministry of Minority Affairs			
(क) स्वच्छता कार्य योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Swachhta Action Plan.	0.10	...	0.10
(ख) स्वच्छता कार्य योजना हेतु मौलाना आजाद शिक्षा संस्थान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Maulana Azad Education Foundation for Swachhta Action Plan.	10.00	...	10.00
(ग) मीडिया अभियान के तहत स्वच्छता कार्य योजना संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 0.30 करोड़) और अनुसंधान अध्ययन अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन योजनाएं (₹ 0.20 करोड़)।	(c) For meeting expenditure on Swachhta Action Plan under Media Campaign (₹0.30 crore) and Research Studies Monitoring and Evaluation of schemes (₹0.20 crore).	0.50	...	0.50
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कार्मिकों की ई-सेवा-पुस्तिका/अभिलेखों के तहत भुगतान करने के लिए।	(a) For making payment under e-Service Book/Records of Central Government Employees for Department of Personnel & Training, Department of Administrative Reforms & Public Grievances and Department of Pensions & Pensioners Welfare.	27.00	...	27.00
(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा स्वच्छता कार्य योजना हेतु प्रावधान करने के लिए।	(b) For making provision for the Swachhta Action Plan by Central Administrative Tribunal.	0.25	...	0.25
(ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के लिए।	(c) For Swachhta Action Plan by Staff Selection Commission.	0.30	...	0.30
(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो हेतु स्वच्छता कार्य योजना के लिए।	(d) For Swachhta Action Plan for Central Bureau of Investigation.	0.80	...	0.80
(ङ) सचिवालयी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सूचना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड हेतु स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करने के लिए।	(e) For making provision for Swachhta Action for Institute of Secretariat Training & Management, Central Information Commission, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Public Enterprise Selection Board.	16.70	...	16.70

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
71 केन्द्रीय सतर्कता आयोग भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा शुरू की गई लोक संगठन परियोजना हेतु सत्यनिष्ठा इंडेक्स के विकास के लिए।	71 Central Vigilance Commission For development of Integrity Index for Public Organisation Project undertaken by Indian Institute of Management, Ahmadabad.	1.00	...	1.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73 योजना मंत्रालय अटल नवोन्मेष अभियान स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित (₹ 20 करोड़) और (ii) यूएनडीपी द्वारा सहायता प्राप्त विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु समर्थ सुदृढ़ीकरण परियोजना (₹ 0.25 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान से संबंधित अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	73 Ministry of Planning For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹20 crore) and (ii) UNDP assisted project Strengthening Capacities for Decentralized Planning (₹0.25 crore).	20.25	...	20.25
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF VICE PRESIDENT			
77 राज्य सभा (i) सचिवालयी सदस्यों और राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) के लिए संघटकों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 3.72 करोड़) (ii) सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष का चिकित्सा उपचार (₹ 1.55 करोड़ रुपए) (iii) सचिवालयी एवं राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) हेतु विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 8.50 करोड़) (iv) राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) हेतु किराया, दरें और कर संबंधी व्यय पूरा करने के लिए ₹ 28 करोड़)।	77 Rajya Sabha For meeting expenditure on (i) Information Technology for IT related components towards Members' Secretariat and Rajya Sabha Television (RSTV) (₹3.72 crore) (ii) Medical Treatment towards Members' and Leader of Opposition (₹1.55 crore) (iii) Advertisement and Publicity towards Secretariat and Rajya Sabha Television (RSTV) (₹8.50 crore) (iv) Rent, Rates & Taxes towards Rajya Sabha Television (RSTV) (₹28 crore).	41.77	...	41.77
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80 रेल मंत्रालय निम्नलिखित हेतु (i) बनसवाड़ी-मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रेक्स हेतु वर्द्धन और रख-रखाव (₹ 5.23 करोड़) और सरकारी-निजी भागीदारी योजना (₹ 20.91 करोड़) (ii) सालरपुर-फ्राइट टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास (₹130.83 करोड़) और (iii) वस्तु और सेवाकर मोड्यूल का कार्यान्वयन हेतु डिजाइन, विकास और कम्प्यूटरीकरण (₹ 41.72 करोड़)।	80 Ministry of Railways For (i) Banaswadi-Enhancement of maintenance facilities for Mainline Electrical Multiple Unit rakes (₹5.23 crore) and Public Private Partnership Project (₹20.91 crore) (ii) Salarpur-Development as freight terminal station (₹130.83 crore) and (iii) design, development and computerisation towards implementation of Goods and Service Tax module (₹41.72 crore).	...	198.69	198.69
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) को अंतर खाता अंतरण हेतु।	81 Ministry of Road Transport and Highways (a) For Inter Account Transfer to Central Road Fund (CRF).	7,237.78	...	7,237.78

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) प्रमुख कार्यो हेतु (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य (₹ 3000 करोड़) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईपी) की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्कीम (₹ 175 करोड़) (iii) एशियाई विकास बैंक विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं ₹145 करोड़ (iv) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (₹ 250 करोड़) (v) राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम के विश्व बैंक हेतु काउंटर पार्ट फंड (₹ 123 करोड़) (vi) एशियाई विकास बैंक हेतु काउंटर पार्ट फंड ₹ 147 करोड़ (vii) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण हेतु काउंटर पार्ट फंड (₹ 83 करोड़) (2) राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संयोजकता सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के अंतर्गत पेशेवर सेवाएं (₹ 50 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure on (1) Major Works towards (i) National Highways Original Works (₹3000 crore) (ii) the World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (NHIP) (₹175 crore) (iii) the Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹145 crore) (iv) the Japan International Cooperation Agency (₹250 crore) (v) the Counterpart Fund for World Bank of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (₹123 crore) (vi) the Counterpart Fund for Asian Development Bank (₹147 crore) (vii) the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency (₹83 crore) (2) Professional Services for World Bank aided National Highway Inter-connectivity Improvement Programme (₹50 crore).	...	3,973.00	3,973.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82 ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) स्वच्छता कार्य योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा के कारण व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit under Pradhan Mantri Awas Yojna.	2.00	...	2.00
(ख) स्वच्छता कार्य योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit under National Social Assistance Program.	0.02	...	0.02
(ग) निम्नलिखित हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹ 42.50 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के तहत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं घटक (₹ 50 करोड़) (2) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत व्यय को पूरा करना (i) किराया, दर और कर (₹ 6.50 करोड़) (ii) कार्यालयी व्यय (सूचना तकनीकी (₹4.80 करोड़) (iii) स्वच्छता कार्य योजना और आंतरिक लेखा परीक्षा (₹ 1.01 करोड़)।	(c) For (1) providing Grants-in-aid General towards (i) Special Programme for Rural Development under Rural Self Employment Training Institute (₹42.50 crore) and externally aided projects component (₹50 crore) under the scheme National Rural Livelihood Mission (2) meeting expenditure under the scheme National Rural Livelihood Mission towards (i) Rent, Rate and Taxes (₹6.50 crore) (ii) Office Expenses (Information Technology) (₹4.80 crore) (iii) on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit (₹1.01 crore).	104.81	...	104.81
(घ) स्वच्छता कार्य योजना (सैप) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय और ग्रामीण रोजगार गारंटी	(d) For meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्यक्रम के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय को पूरा करना।	Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme.	1.01	...	1.01
(ड) निम्नलिखित हेतु (i) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 30 करोड़) (ii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹70 करोड़) (iii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्य व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) को पूरा करना (₹ 0.01 करोड़) (iv) स्वच्छता कार्य योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय को पूरा करना (2 करोड़)।	(e) For (i) providing Grants-in-aid General to State Institutes of Rural Development/Extension Training Centres under Other Rural Development Programme (₹30 crore) (ii) Providing Grants for creation of Capital Assets under Other Rural Development Programme (₹70 crore) (iii) meeting Office Expenses (Information Technology) under Other Rural Development Programme (₹0.01 crore) (iv) meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit under Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (₹2 crore).	102.01	...	102.01
(च) स्वच्छता कार्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आंतरिक लेखा परीक्षा पर व्यय को पूरा करना।	(f) For meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan and Internal Audit under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.	0.15	...	0.15
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY		
84 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव क्षमता निर्माण के अनुसूचित जनजाति घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करना।	84 Department of Science and Technology For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Scheduled Tribe Component of Science and Technology Institutional and Human Capacity Building.	6.00	...	6.00
85 जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु।	85 Department of Biotechnology For implementation of Swachhta Action Plan.	2.25	...	2.25
86 विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग औद्योगिक अनुसंधान और विकास स्कीम के पेटेंट अधिग्रहण और सहयोग अनुसंधान और औद्योगिक विकास स्कीम के तहत सहायता हेतु व्यय को पूरा करना।	86 Department of Scientific and Industrial Research For meeting expenditure towards subsidies under Patent Acquisition and collaborative Research and Technology Development of Industrial Research and Development Scheme.	0.25	...	0.25
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING		
87 पोत परिवहन मंत्रालय (क) निम्नलिखित हेतु (i) जल मार्ग विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़) (ii) ब्याज देयता हेतु सामान्य सहायता अनुदान और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अन्य व्यय (₹ 28.70 करोड़) को पूरा करना।	87 Ministry of Shipping For providing (i) Grants for creation of Capital Assets under Jal Marg Vikas Project (₹1 crore) (ii) Grants-in-aid General for interest liability and other expenses to Inland Waterway Authority of India (₹28.70 crore).	29.70	...	29.70

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
बालक छात्रवास स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदान देने के लिए।	For providing additional Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Boys Hostel.	10.00	...	10.00
90 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
स्वच्छता कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीन, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग और हड्डी संबंधित विकलांग संस्थान के विस्तार और सुधार योजना स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing Grants-in-aid General under the scheme expansion and improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped under Swachhta Action Plan.	0.90	...	0.90
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
91 अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space			
(क) एनई-सैक योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme NE SAC.	12.00	...	12.00
(ख) योजना के तहत मशीनरी और उपस्कर संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) स्कैटसैट प्रोजेक्ट (₹4.89 करोड़) (ii) रिसॉस सैट - 2ए प्रोजेक्ट (₹0.66 करोड़) (iii) जी सैट - 19 प्रोजेक्ट (₹2.35 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (₹36.50 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure on Machinery and Equipment under the scheme (i) Scattsat Project (₹4.89 crore) (ii) Resourcesat-2A Project (₹0.66 crore) (iii) GSAT-19 Project (₹2.35 crore) and (iv) Space Applications Centre under Information Technology (₹36.50 crore).	...	44.40	44.40
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
92 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
मंत्रालय के पेशेवर सेवाओं के तहत एमपीएलएडीएस की तीसरे पक्ष मानीटरिंग हेतु आवश्यकता को पूरा करना।	For meeting requirement for third party monitoring of MPLAD Scheme under Professional Services.	5.00	...	5.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94 वस्त्र मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
(क) स्वच्छता कार्य योजना हेतु सचिवालय स्थापना हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	(a) For meeting additional requirement towards Secretariat Establishment for Swachhta Action Plan.	0.10	...	0.10
(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में सामान्य विद्युत करघा का इन-सिटू उन्नयन (₹1 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में डिजाइनकृत तकनीकी उन्नयन योजना (₹3.80 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़) (iii) विज्ञापन	(b) For meeting additional requirement towards (i) In-Situ Up-gradation of Plain Powerloom as Grants for creation of Capital Assets (₹1 crore) (ii) Designand Technical Up-gradation Scheme as Grants-in-aid General (₹3.80 crore) and Other Charges (₹0.20			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और प्रचार के रूप में हथकरघा कला समग्र कल्याण योजना (₹0.20 करोड़) और अन्य प्रभार (₹1.80 करोड़) (iv) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना (₹1.80 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.20 करोड़) और (v) विपणन सहायता और विज्ञापन और प्रचार के रूप में सेवाएं (₹0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹9.40 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.30 करोड़) (vi) विज्ञापन और प्रचार के रूप में अनुसंधान और विकास (₹0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹4.40 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.30 करोड़) (vii) सामान्य सहायता अनुदान के रूप मानव अनुसंधान विकास (₹2.40 करोड़) और अन्य प्रभार (₹1.60 करोड़)।	crore) (iii) Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme as Advertising and Publicity (₹0.20 crore) and Other Charges (₹1.80 crore) (iv) Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojna as Grants-in-aid General (₹1.80 crore) and Other Charges (₹0.20 crore and (v) Marketing Support and Services as Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore), Grants-in-Aid General (₹9.40 crore) and Other Charges (₹0.30 crore) (vi) Research and Development as Advertising and Publicity (₹0.30 crore), Grants-in-aid General (₹4.40 crore) and Other Charges (₹0.30 crore) (vii) Human Research Development as Grants-in-aid General (₹2.40 crore) and Other Charges (₹1.60 crore).	28.00	...	28.00
(ग) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (₹25.09 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.41 करोड़) वेतन सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) और स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) (ii) स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत सिल्क उद्योग का विकास (₹0.50 करोड़) (iii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुमानों के रूप में विद्युत करघा क्षेत्र विकास हेतु एकीकृत योजना (₹8 करोड़), लघु कार्य (₹0.85 करोड़) और स्वच्छता कार्य योजना (सैप) हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.20 करोड़) (iv) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में सामान्य विद्युत करघा का इन-सिटू उन्नयन (₹6 करोड़), और स्वच्छता कार्य योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़) (v) स्वच्छता कार्य योजना हेतु कार्यालयी व्यय के रूप में हथकरघा हेतु विकास आयुक्त (₹0.15 करोड़) और (vi) स्वच्छता कार्य योजना हेतु कार्यालयी व्यय के रूप हस्तशिल्प हेतु विकास आयुक्त (₹0.10 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement towards (i) Integrated Wool Development Programme as Grants-in-aid General (₹25.09 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹3.41 crore), Grants-in-aid Salaries (₹3.50 crore) and Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹0.20 crore) (ii) Development of Silk Industry under Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹0.50 crore) (iii) Integrated Scheme for Powerloom Sector Development as Grants for creation of Capital Assets (₹8 crore), Minor Works (₹0.85 crore) and Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹0.20 crore) (iv) In-situ Upgradation of Plain Powerloom as Grants for creation of Capital Assets (₹6 crore), and Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan (₹0.10 crore) (v) Development Commissioner for Handloom as Office Expenses for Swachhta Action Plan (₹0.15 crore) and (vi) Development Commissioner for Handicraft as Office Expenses for Swachhta Action Plan (₹0.10 crore).	48.10	...	48.10
(घ) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) स्वच्छता कार्य योजना हेतु कार्यालयी व्यय के रूप में कपड़ा आयुक्त (₹0.10 करोड़) (ii) स्वच्छता कार्य योजना हेतु कार्यालयी व्यय के रूप में जूट आयुक्त (₹0.10 करोड़)	(d) For meeting additional requirement towards (i) Textile Commissioner as Office Expenses for Swachhta Action Plan (₹0.10 crore) (ii) Jute Commissioner as Office Expenses for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(iii) मूल्य समर्थन हेतु भारत जूट निगम को राजसहायता (₹6.78 करोड़)।	Swachhta Action Plan (₹0.10 crore) (iii) Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹6.78 crore).	6.98	...	6.98
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
95 पर्यटन मंत्रालय	95 Ministry of Tourism			
स्कीमों के तहत स्वच्छता कार्य योजना, के कार्यान्वयन हेतु निधियां प्रदान करना (i) स्वदेश दर्शन (₹18 करोड़) (ii) तीर्थाटन नवीकरण और आत्मिक साधना संचालन (प्रसाद) (₹3.60 करोड़) (iii) आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन (₹3.60 करोड़) है (iv) सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण (₹18 करोड़)।	For providing funds for implementation of Swachhta Action Plan under schemes (i) Swadesh Darshan (₹18 crore) (ii) Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (₹3.60 crore) (iii) Domestic Publicity & Promotion including Hospitality (₹3.60 crore) (iv) Capacity Building for service providers (₹18 crore).	43.20	...	43.20
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96 जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) और पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति (₹0.01 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing Grants-in-aid General under the scheme Pre Matric Scholarship (₹0.01 crore) and under Post Matric Scholarship (₹0.01 crore).	0.02	...	0.02
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
97. शहरी विकास मंत्रालय	97 Ministry of Urban Development			
(क) भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय हेतु पेशेवर सेवाओं हेतु व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services for Government of India Stationery Office.	0.01	...	0.01
(ख) एविकशन इंस्पेक्टर द्वारा किराये पर लिए गए श्रमिकों को भुगतान करने के लिए।	(b) For making payment to labourers hired by Eviction Inspector.	0.05	...	0.05
(ग) रिजर्व फंड शीर्षों को अंतरण के तहत उपलब्ध निधियों वाले स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सकल बजटीय सहायता को मिलाने के लिए सुधार हेतु।	(c) For rectification to match the Gross Budgetary Support in respect of Swachh Bharat Mission with funds under the transfer to reserve funds.	369.40	...	369.40
(घ) निम्नलिखित हेतु (i) भारत के संविधान क्लब का पुनर्निर्माण (₹1 करोड़) (ii) भारत सरकार (मुद्राणालय का पुनर्निर्माण (₹5 करोड़) (iii) वित्त (राजस्व) और लेखा (₹130 करोड़) के चल रहे कार्य हेतु।	(d) For (i) re-development of Constitution Club of India (₹1 crore) (ii) re-development of Government of India Press (₹5 crore) (iii) on-going works of Finance (Revenue) and Audit (₹130 crore).	...	136.00	136.00
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99 महिला और बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development			
निम्नलिखित हेतु (i) आंगवाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु स्वच्छता कार्य योजना (₹2 करोड़) और बाल सुरक्षा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.80 करोड़) (ii) अन्य व्यय के तहत राज्य/संघ शासित राज्यों के निलंब	(a) For (i) Swachhta Action Plan towards Grant for creation of Capital Assets under Anganwadi Services (₹2 crore) and towards Grants-in-aid General under Child Protection Scheme (₹1.80 crore) (ii) meeting expenditure towards			

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
खाते को निधि के अंतरण हेतु मातृत्व लाभ कार्यक्रम हेतु व्यय को पूरा करना (₹9.70 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1,946 करोड़) (iii) एससी घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹221.40 करोड़) और (iv) किशोरी योजना के तहत पेशेवर सेवाएं (₹0.11 करोड़)।	Maternity Benefit Programme for transfer of fund to Escrow account of States/UTs (₹9.70 crore) and Grants-in-aid General (₹1,946 crore) (iii) Grants-in-aid General under SC Component (₹221.40 crore) and (iv) Professional Services under the scheme Adolescent Girls (₹0.11 crore).	2,181.01	...	2181.01
(ख) स्वच्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹5.92 करोड़) और बाल सुरक्षा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.20 करोड़)।	(b) For Swachhta Action Plan towards (i) Grants for creation of Capital Assets under Anganwadi Services (₹5.92 crore) and Grants-in-aid General under Child Protection Scheme (₹1.20 crore).	7.12	...	7.12
(ग) स्वच्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹54 करोड़) और बाल सुरक्षा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹8 करोड़)।	(c) For Swachhta Action Plan towards (i) Grants for creation of Capital Assets under Anganwadi Services (₹54 crore) and Grants-in-aid General under Child Protection Scheme (₹8 crore).	62.00	...	62.00
(घ) स्वच्छता कार्य योजना हेतु (i) आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.60 करोड़) और बाल सुरक्षा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)।	(d) For Swachhta Action Plan towards (i) Grants for creation of Capital Assets under Anganwadi Services (₹3.60 crore) and (ii) Grants-in-aid General under Child Protection Scheme (₹1 crore).	4.60	...	4.60

युवा और खेल मामले मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

100 युवा और खेल मामले मंत्रालय

100 Ministry of Youth Affairs and Sports

- (क) (1) निम्नलिखित हेतु (i) युवा छात्रावास योजना के तहत छात्रावास प्रबंधकों और वार्डनों को मानदेय (₹0.20 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता स्कीम के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹80 करोड़) (iii) खेलकूद में मानव संसाधन विकास योजना के तहत अतिरिक्त छात्रवृत्ति (₹0.40 करोड़) और पूंजी घटक के तहत अवसंरचना परियोजनाओं हेतु खेलो इंडिया स्कीम चल रही पूंजी परियोजनाओं/नए परियोजनाओं को पूरा किए जाने के तहत पूंजी आस्तियों का सृजन (₹150 करोड़) (2) निम्नलिखित स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सहायता अनुदान वेतन के तहत 7वां केंद्रीय वेतन आयोग (₹74 करोड़) (ii) आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान के तहत चल रही पूंजी परियोजनाओं/नई परियोजनाओं को पूरा करना (₹80 करोड़) और (iii) सामान्य श्रेणी के तहत सामान्य सहायता

- (a) For (1) providing (i) Honoraria to the Hostel Managers and Wardens under Youth Hostel Scheme (₹0.20 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets to fill up the critical infrastructural gaps at Sports Authority of India regional Centres under the scheme Assistance to National Sports Federation (₹80 crore) (iii) additional Scholarship/ Stipend under the scheme Human Resource Development in Sports (₹0.40 crore) and (iv) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Khelo India for Infra Projects, completion of ongoing capital projects/ new projects under capital component (₹150 crore) (2) meeting additional requirement under Sports Authority of India for (i) 7th CPC under Grants-in-aid Salaries (₹74 crore) (ii) completion of ongoing capital projects/new projects under Grants for creation of

(₹ करोड़ में In ₹ Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमियां / प्रशिक्षण केंद्रों को चलाना (₹10 करोड़) और एससी श्रेणी के तहत (₹15 करोड़) और एसटी श्रेणी के तहत (₹10 करोड़)।	Capital Assets (₹80 crore) and (iii) to run the National Sports Academies/ training Centers providing Grants-in-aid General under General category (₹10 crore), under SC category (₹15 crore) and under ST category (₹10 crore).	419.60	...	419.60
(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के अंतर्गत (i) 7 वां केंद्रीय वेतन आयोग के खाते में वेतन सहायता अनुदान (₹5 करोड़) (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के तहत चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करना (₹10 करोड़) और राष्ट्रीय खेल अकादमी/प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने हेतु सामान्य श्रेणी हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।	(b) For providing additionality for Sports Authority of India under (i) Grants-in-aid Salaries on account of the 7th CPC (₹5 crore) (ii) completion of ongoing capital projects/new projects under Grants for creation of Capital Assets (₹10 crore) and (iii) Grants-in-aid General towards General category to run the National Sports Academies training centres (₹5 crore).	20.00	...	20.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.87	0.14	1.01
5. आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से ₹12,00,00,000 की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई। अनुदान की पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसे निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।	5. An advance of ₹12,00,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting Contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	10,383.32	782.86	11,166.18
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	10,122.95	524.50	10,647.45
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	259.50	258.22	517.72
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.87	0.14	1.01

विषय सूची CONTENTS

				(₹ करोड़) (in ₹ crores)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE						
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	1	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.05	12.85	12.90	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	2.	Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	3
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग स्वीकृत	3.	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.04	0.01	0.05	4
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)						
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) स्वीकृत	5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS						
6.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग स्वीकृत	6.	Department of Chemical and Petrochemicals	Voted	0.01	360.26	360.27	6
7.	उर्वरक विभाग स्वीकृत	7.	Department of Fertilisers	Voted	0.01	...	0.01	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	...	0.02	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11.	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	11.	Department of Commerce	Voted	40.00	1.39	41.39	9
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग स्वीकृत	12.	Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	2000.00	...	2000.00	10
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
15.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	15.	Department of Consumer Affairs	Voted	500.00	...	500.00	11
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	16.	Department of Food and Public Distribution	Voted	52.11	...	52.11	12
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS						
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	17.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	40.01	...	40.01	13
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
18.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	18.	Ministry of Culture	Voted	0.03	0.01	0.04	14
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
19.	रक्षा मंत्रालय (विविध) स्वीकृत	19.	Ministry of Defence (Misc)	Voted	36.82	...	36.82	16
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व) स्वीकृत	20.	Defence Services (Revenue)	Voted	0.01	...	0.01	17
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय भारित	21.	Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	80.00	80.00	18
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION						
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	23.	Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.03	...	0.03	19
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
26.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्वीकृत	26.	Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	100.00	...	100.00	20
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE						
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारित स्वीकृत	27.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Charged Voted	... 0.03	0.67 ...	0.67 0.03	21

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़) (in ₹ crores)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	98.46	0.01	98.47	22
30. व्यय विभाग	स्वीकृत	30. Department of Expenditure	Voted	2.00	...	2.00	23
33. राजस्व विभाग	स्वीकृत	33. Department of Revenue	Voted	0.01	...	0.01	24
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	25
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	386.43	163.57	550.00	26
38. विनियोग-ऋण अदायगी	भारित	38. Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	0.01	0.01	27
40. राज्य को अंतरण	स्वीकृत	40. Transfers to States	Voted	0.01	...	0.01	28
खाद्य प्रसंस्करण		MINISTRY OF FOOD PROCESSING					
उद्योग मंत्रालय		INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	29
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	...	132.91	132.91	30
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	31
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01	32
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	0.01	0.01	0.02	33
संघ शासित क्षेत्र (विधानमंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
49. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	...	0.01	0.01	34
51. दादरा एवं नगर हवेली	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	8.40	...	8.40	35
52. दमन और दीव	स्वीकृत	52. Daman and Diu	Voted	...	0.01	0.01	36
55. पुडुचेरी को अंतरण	स्वीकृत	55. Transfers to Puducherry	Voted	17.70	...	17.70	37
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	0.04	...	0.04	38
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	39
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.02	...	0.02	40
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	...	19.00	19.00	41
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	42
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.03	...	0.03	43
कार्मिक और लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
70. कार्मिक और लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.05	0.08	0.13	44
71. विनियोग - केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित	71. Appropriation - Central Vigilance Commission	Charged	0.01	...	0.01	45
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	7000.00	...	7000.00	46
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
73. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	47
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
77. राज्य सभा	स्वीकृत	77. Rajya Sabha	Voted	0.01	...	0.01	48

				(₹ करोड़) (in ₹ crores)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ठ	
				Revenue	Capital	Total	Page	
रेलवे मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS						
80.	रेलवे मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Voted	...	0.01	0.01	49
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
81.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	0.01	0.02	50
ग्रामीण विकास विभाग		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
82.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	0.06	...	0.06	51
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
84.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	53
85.	जैविकी प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	54
86.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	86. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	0.01	...	0.01	55
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING						
87.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	0.01	...	0.01	56
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	89. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.01	...	0.01	57
90.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	90. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	58
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE						
91.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	59
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION						
92.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.01	...	0.01	60
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES						
94.	कपड़ा मंत्रालय	भारित स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Charged Voted	... 0.04	12.00 ...	12.00 0.04	61
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM						
95.	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	63
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS						
96.	जनजाति कार्य मंत्रालय	भारित स्वीकृत	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged Voted	0.01 3.14	0.01 3.14	64
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT						
97.	शहरी विकास मंत्रालय	भारित स्वीकृत	97. Ministry of Urban Development	Charged Voted	4.00 0.03	... 0.01	4.00 0.04	65
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION						
98.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	93.42	...	93.42	66
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
99.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.04	...	0.04	67
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS						
100.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.02	...	0.02	68
कुल जोड़		GRAND TOTAL			11,383.32	782.86	11166.18	
		भारित		Charged	4.02	92.68	96.70	
		स्वीकृत		Voted	10379.30	690.18	11069.48	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	...	52575.57	52575.57
पूंजी	Capital	...	79.43	79.43
जोड़	Total	...	52655.00	52655.00

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

Supplementary Estimate of the amount now

required:

राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	12.85	12.85
जोड़	Total	...	12.90	12.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	52667.90	52667.90
राजस्व	Revenue	...	52575.62	52575.62
पूंजी	Capital	...	92.28	92.28

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(क) 0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(घ) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ङ) 0.01

जोड़ (राजस्व भाग)

Total (Revenue Section)

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	12.85	(च) 12.85
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	12.90	12.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत कपास विकास निदेशालय के लघु कार्य (₹ 0.43 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए	(a) (i) providing additional funds under Minor Works of Directorate of Cotton Development under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 0.43 crore).
(ii) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 7.90 करोड़) के लिए	(ii) releasing additional Grants in aid General under National Project on Management of Soil Health and Fertility under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 7.90 crore).
(iii) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 16 करोड़) के लिए	(iii) providing additional Grants-in-aid-General under Paramparagat Krishi Vikas Yojna under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 16 crore).
(iv) हरित क्रांति- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 11.50 करोड़) के लिए	(iv) providing additional Grants-in-aid-General for Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹ 11.50 crore).
अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 22 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 5 करोड़) और आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता (₹ 3 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य प्रदान करने के लिए।	(b) providing additional Grants-in-aid-General for General Component (₹ 22 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 5 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 3 crore) under Swachhta Action Plan of Green Revolution-Krishonnati Yojna.
अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	(i)	हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 100 करोड़) प्रदान करने के लिए	(c)	(i)	providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Mission for Integrated Development of Horticulture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 100 crore).
	(ii)	हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 15 करोड़) प्रदान करने के लिए		(ii)	providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Food Security Mission under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 15 crore).
	(iii)	हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 28.22 करोड़) प्रदान करने के लिए		(iii)	providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under National Mission for Sustainable Agriculture under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 28.22 crore).
	(iv)	हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत तिलहन और आयलपाम प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 9.05 करोड़) प्रदान करने के लिए		(iv)	providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Technology Mission of Oilseeds and Oil Palm under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 9.05 crore).
	(v)	हरित क्रांति- कृषोन्नति योजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 30 करोड़) प्रदान करने के लिए		(v)	providing additional Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Sub-Mission on Agriculture Extension under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 30 crore).
		अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक अनुपूक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i)	डीजल आर्थिक सहायता के तहत सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 21.35 करोड़) प्रदान करने के लिए	(d)	(i)	providing Grants-in-aid General under Diesel Subsidy (₹ 21.35 crore).
	(ii)	हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 125.60 करोड़) प्रदान करने के लिए		(ii)	providing Grants-in-aid General for implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 125.60 crore).
	(iii)	हरित क्रांति-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्वच्छता कार्य योजना के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 36 करोड़) प्रदान करने के लिए ।		(iii)	providing additional Grants-in-aid General for Swachhta Action Plan under Green Revolution-Rashtriya Krishi Vikas Yojna (₹ 36 crore).
		अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक अनुपूक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)		हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना के तहत समेकित कृषि संगणना एवं सांख्यिकी योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 0.90 करोड़) प्रदान करने के लिए ।	(e)		providing Grants-in-aid General for implementation of Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics under Green Revolution-Krishonnati Yojna (₹ 0.90 crore).
		अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक अनुपूक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	(i)	पौध संरक्षण एवं पौध संघरोध उपमिशन के तहत मशीनरी एवं उपकरण (₹ 12.85 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए	(f)	(i)	providing additional funds under Machinery and Equipment under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (₹ 12.85 crore).
	(ii)	पौध संरक्षण एवं पौध संघरोध उपमिशन के तहत मोटर वाहन (₹ 2.02 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ।		(ii)	meeting additional requirement under Motor Vehicles under Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (₹ 2.02 crore).
		अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत को वापस लौटाने को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इस खंड में बचत के उपयोग के बाद उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।			Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6800.00	6800.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	6800.00	6800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6800.01	6800.01
राजस्व	Revenue	...	6800.01	6800.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्वच्छता कार्य योजना (₹ 0.01 करोड़) के लिए आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन योजना के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान-सामान्य उपलब्ध कराने के लिए।

अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants is required for:

providing additional Grants-in-aid-General under the scheme ICAR Headquarter Administration for Swachhta Action Plan (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2877.48	2877.48
पूँजी	Capital	...	43.52	43.52
जोड़	Total	...	2921.00	2921.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2921.05	2921.05
राजस्व	Revenue	...	2877.52	2877.52
पूँजी	Capital	...	43.53	43.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	0.01 (का)	0.01
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4403-पशुपालन पर पूँजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01 (डेe)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.05	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास योजना (₹ 37 करोड़) के अंतर्गत। सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।	(a)	providing Grants-in-aid General under the scheme of Dairy Processing and Infrastructure Development Funds (₹ 37 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	स्वच्छ कार्य योजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।	(b)	providing Grants-in-aid General to National Fishery Development Board under Swachhta Action Plan (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	पशुधन संगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 21 करोड़) तथा एससीएसपी के अंतर्गत अनुदान (₹ 5.50 करोड़) प्रदान करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।	(c)	providing Grants-in-aid General (₹ 21 crore) and Grants under SCSP (₹ 5.50 crore) under the scheme of Livestock Census and Integrated Sample Survey. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	पशुधन संगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना (₹ 1 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।	(d)	providing Grants-in-aid General under the scheme of Livestock Census and Integrated Sample Survey (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए (i) छोटे पशुधन संस्थानों (₹ 1.50 करोड़) तथा (ii) नसल सुधार संस्थानों (₹ 2.40 करोड़) की योजना में मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा गया है।	(e)	providing additional funds under Major Works in the scheme of (i) Small Livestock Institutes (₹ 1.50 crore) and (ii) Breed Improvement Institutes (₹ 2.40 crore) for Swachhta Action Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	...	1425.35	1425.35
पूंजी	Capital	...	3.30	3.30
जोड़	Total	...	1428.65	1428.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1428.66	1428.66
राजस्व	Revenue	...	1425.36	1425.36
पूंजी	Capital	...	3.30	3.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01
-------------------------------	--------------------------------	-----	------	------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

(i) "राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 28 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलूर" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 28 करोड़)। (iii) "राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर" स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 24 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

providing Grants for creation of capital assets under (i) National Institute of Homoeopathy, Kolkata, (₹ 28 crore) (ii) National Institute of Unani Medicine, Bangaluru, (₹ 28 crore) and (iii) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 24 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	273.39	273.39
पूंजी	Capital	...	24.61	24.61
जोड़	Total	...	298.00	298.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	360.26	360.26
जोड़	Total	...	360.27	360.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	658.27	658.27
राजस्व	Revenue	...	273.40	273.40
पूंजी	Capital	...	384.87	384.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	360.26	(खब) 360.26
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	360.27	360.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.16 करोड़)।	(a)	Opening new head for Swacchta Action Plan(₹ 0.16 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	मैसर्स हिंदुस्तान आर्गेनिकस केमिकल्स लि.(एचओसीएल) को पूर्ति ऋण (i) सरकार के गारंटीकृत बांड की वापसी अदायगी अगस्त एवं सितंबर 2017 में देय है (₹ 250 करोड़)(ii) कर्मचारियों/प्रदाताओं आदि को देय का भुगतान (₹ 110.26 करोड़)।	(b)	Bridge Loan to M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL) towards (i) repayment of the Government Guaranteed Bonds due in August & September, 2017 (₹ 250 crore) (ii) payment of dues to employees/suppliers etc.(₹ 110.26 crore).
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	74264.67	74264.67
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	74264.71	74264.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	74264.72	74264.72
राजस्व	Revenue	...	74264.68	74264.68
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन (i) पेशेवर सेवाओं के लिए (₹ 4.10 करोड़) और (ii) आईटी संबंधी व्यय के लिए (₹ 22.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

implementing Direct Benefit Transfer (DBT) in fertilisers subsidy (i) for Professional Services (₹ 4.10 crore) and (ii) for IT related expenditure (₹ 22.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	781.34	781.34
पूंजी	Capital	...	1920.70	1920.70
जोड़	Total	...	2702.04	2702.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2702.06	2702.06
राजस्व	Revenue	...	781.36	781.36
पूंजी	Capital	...	1920.70	1920.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(का) 0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	विशेष संचालनों हेतु सब्सिडी (₹ 200 करोड़) के अन्तर्गत नया शीर्ष खोलने और इसमें इस प्रावधान को अन्तर्गत करने के लिए।	(a)	opening of new head and transfer of provision thereof under "Subsidy for Special Operation" (₹ 200 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	क्षेत्रीय अनुयोजकता योजना (₹ 200 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b)	providing Grants for creation of Capital Assets under Regional Connectivity Scheme (₹ 200 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.06	4314.55	4314.61
पूंजी	Capital	...	151.22	151.22
जोड़	Total	0.06	4465.77	4465.83
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	40.00	40.00
पूंजी	Capital	...	1.39	1.39
जोड़	Total	...	41.39	41.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.06	4507.16	4507.22
राजस्व	Revenue	0.06	4354.55	4354.61
पूंजी	Capital	...	152.61	152.61
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2057-आपूर्ति और निपटान	2057-Supplies and Disposals	...	40.00 (का)	40.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	5453-Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion	...	1.39 (खब)	1.39
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	41.39	41.39

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	जीडिएम एसपीवी कम्पनी के संचलनात्मक व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान सामान्य के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 40 करोड़) को पूरा करने के लिए। उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।	(a)	Meeting additional requirement (₹ 40 crore) as "Grants in Aid General" for meeting operational expenses of Government e-Marketplace Special Purpose Vehicle (GeM SPV) Company. The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	केन्द्रीय लोक निर्माण कोलकता को प्रमुख कार्यों के भुगतान के अन्तर्गत वाणिज्यिक सूचना और साख्यकी महानिदेशालय की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 1.39 करोड़) को पूरा करने के लिए। अनुदान के भारित/राजस्व में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Meeting additional requirement (₹ 1.39 crore) of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics under Major Works towards payment to CPWD, Kolkata. Taking into account the surrender of savings available in the Voted/Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3599.19	3599.19
पूंजी	Capital	...	9.68	9.68
जोड़	Total	...	3608.87	3608.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2000.00	2000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2000.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5608.87	5608.87
राजस्व	Revenue	...	5599.19	5599.19
पूंजी	Capital	...	9.68	9.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	200.00 (का)	200.00
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	1800.00 (खब)	1800.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2000.00	2000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को वस्तु और सेवा कर क्षेत्र में बजटीय सहायता स्कीम के तहत आवश्यकताएँ पूरा करना।	(a)	Meeting the requirements under the scheme of Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim.
	इसमें ₹ 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।		This will entail a cash outgo of ₹ 200 crore.
(ख)	(i) जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित यूनिटों को वस्तु और सेवा कर क्षेत्र में बजटीय सहायता स्कीम के तहत आवश्यकताएँ पूरा करना (₹ 1800 करोड़)।	(b)	(i) Meeting the requirements (₹ 1800 crore) under the scheme of Budgetary support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim.
	(ii) राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वायन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 10 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।		(ii) Meeting additional requirement (₹ 10 crore) towards Grants for creation of Capital Assets under National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इसमें ₹ 1800 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1800 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	...	3723.10	3723.10
पूंजी	Capital	...	21.35	21.35
जोड़	Total	...	3744.45	3744.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	500.00	500.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	500.00	500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4244.45	4244.45
राजस्व	Revenue	...	4223.10	4223.10
पूंजी	Capital	...	21.35	21.35

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	500.00	500.00
---------------------	---------------------	-----	--------	--------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

मूल्य स्थिरीकरण निधि (₹ 500 करोड़) के अन्तर्गत दालों की खरीद के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।

providing Grants-in-aid General for procurement of pulses under the scheme of Price Stabilisation Fund (₹ 500 crore).

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	150952.64	150952.64
पूँजी	...	50523.05	50523.05
जोड़	...	201475.69	201475.69
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:		
पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	52.11	52.11
पूँजी
जोड़	...	52.11	52.11
जोड़ (मूल और पूरक)	...	201527.80	201527.80
राजस्व	...	151004.75	151004.75
पूँजी	...	50523.05	50523.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2408-खाद्य भंडारण और	...	29.46	29.46
भाण्डागारण			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	22.65	22.65
जोड़ (राजस्व भाग)	...	52.11	52.11
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2408-Food Storage and Warehousing	...	29.46	29.46
2552-North Eastern Areas	...	22.65	22.65
Total (Revenue Section)	...	52.11	52.11

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2408-खाद्य भंडारण और	2408-Food Storage and Warehousing	...	(-)29.46
भाण्डागारण			(-)29.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	चीनी कारखानों को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने संबंधी योजना, 2015 के तहत ब्याज के लम्बित दावों को समाप्त करने के लिए सब्सिडी देने के लिए (₹ 6.36 करोड़)।	(a)	(i)	providing subsidy to clear the pending claims of interest subvention under the Scheme for Extending Soft Loan to Sugar Mills, 2015 (₹ 6.36 crore).
	(ii)	चीनी मिलों को गन्ने के लागत क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी प्रदान करने के लिए (₹ 23.10 करोड़)		(ii)	providing production subsidy to Sugar Mills to offset cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers (₹ 23.10 crore).
		चीनी विकास निधि से समान वसूली के मिलान को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।			Taking into account the matching recovery from Sugar Development Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)		खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण करने के लिए पूँजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 22.65 करोड़)	(b)		providing Grants for creation of Capital Assets for Construction of Food Storage Godowns (₹ 22.65 crore).
		अनुदान के पूँजी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।			Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:**I. ORIGINAL GRANT:**

राजस्व	Revenue	...	478.54	478.54
पूंजी	Capital	...	29.50	29.50
जोड़	Total	...	508.04	508.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	40.01	40.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	40.01	40.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	548.05	548.05
राजस्व	Revenue	...	518.55	518.55
पूंजी	Capital	...	29.50	29.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग**REVENUE SECTION****मुख्य शीर्ष****MAJOR HEAD**

3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	40.00	(क) 40.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	40.01	40.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) 'स्वच्छता कार्य योजना' के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.40 करोड़)।	(a) (i) Opening of new Head of Account 'Swachhta Action Plan' (₹ 0.40 crore)
(ii) अन्य प्रभारों के अन्तर्गत निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि (₹ 40 करोड़)।	(ii) Investor's Education and Protection Fund under Other Charges (₹ 40 crore).
इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.40 करोड़ की बचत के मद्देनजर इस पर ₹ 40 करोड़ का नकद व्यय होगा।	Taking into account the savings of ₹ 0.40 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 40 crore.
(ख) 'स्वच्छता कार्य योजना' के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।	(b) Opening of new Head of Account 'Swachhta Action Plan' (₹ 0.10 crore)
अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2661.79	2661.79
पूंजी	Capital	...	76.68	76.68
जोड़	Total	...	2738.47	2738.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2738.51	2738.51
राजस्व	Revenue	...	2661.82	2661.82
पूंजी	Capital	...	76.69	76.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01 (का)	0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय पूरा करना (i) सचिवालय (₹ 0.10 करोड़) (ii) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय (₹ 0.02 करोड़)।	(a)	For meeting expenditure on Swachhta Action Plan of (i) Secretariat (₹ 0.10 crore) and (ii) Central Secretariat Library (₹ 0.02 crore)
	अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(I) सहायता अनुदान सामान्य निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :- (i) संग्रहालयों को सहायता (₹ 27.97 करोड़) - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और संस्कृति मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित 2017-18 के समझौता जपान के अनुसार तथा विभिन्न संग्रहालयों के लिए एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए (₹ 0.25 करोड़)। (ii) अकादमियों को सहायता (₹ 23 करोड़) - थियेटर ओलम्पिक्स 2018 तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा सार्क देशों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यशालाओं, रंगमंचों, महोत्सवों के लिए तथा विभिन्न अकादमियों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए (₹ 0.75 करोड़)। (iii) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारक (₹ 0.75 करोड़) बौद्ध तिब्बती संस्थाएं और स्मारकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन हेतु। (iv) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 0.50 करोड़) - विभिन्न पुस्तकालयों को एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन हेतु। (v) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 150 करोड़) - वित्त मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप मिशन" नामक नई अनुमोदित परियोजना के लिए।	(b)	(I) Providing additional Grant-in-aid General to:- (i) National Council of Science Museums (₹ 27.97 crore) and Swachhta Action Plan to various Museums (₹ 0.25 crore), (ii) Support to Academies for Theatre Olympics 2018 and various workshops, theatres, festivals to be organized in SAARC Countries by National School of Drama (₹ 23 crore) and for Swachhta Action Plan to various Academies and Zonal Cultural Centres (₹ 0.75 crore), (iii) for Swachhta Action Plan to various organisations falling under Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.75 crore), (iv) For Swachhta Action Plan to various Libraries under the scheme support to Libraries (Rs0.50 crore), (v) Kala Sanskriti Vikas Yojana for newly approved project "National Mission on Cultural Mapping & Roadmap" (₹ 150 crore).
(II)	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है: (i) अकादमियों को सहायता (₹ 32.92 करोड़) (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹ 20.81 करोड़)।	(II)	For providing Grants for creation of capital assets to (i). Support to Akademies (₹ 32.92 crore) (ii) Support to Museums (₹ 20.81 crore).
(III)	विदेश यात्रा व्यय निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है: सीईपी और प्रदर्शनियों पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के तहत विदेशी यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.15 करोड़)।	(III)	For meeting additional expenditure under Foreign Travel Expenses under National Archives of India for on-going visit on CEP and exhibitions (₹ 0.15 crore).
(IV)	एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए (i) राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹ 0.05 करोड़)। (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (₹ 0.25 करोड़)।	(IV)	For meeting expenditure under SAP of (i) National Archive of India (₹ 0.05 crore), (ii) Archaeological Survey of India

(iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय (₹ 0.05 करोड़)। (iv) भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (₹ 0.05 करोड़)- एसएपी के अंतर्गत स्वच्छता प्रयोजन के लिए। (v) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 0.05 करोड़)। (vi) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (₹ 0.05 करोड़)। (vii) राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (₹ 0.05 करोड़)। (viii) केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय (₹ 0.08 करोड़)।

अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) सहायता अनुदान सामान्य निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :- राष्ट्रीय अभिलेखागार (2 करोड़ ₹.) - पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शनी/संगोष्ठियों के आयोजन हेतु। (c)

अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

- (घ) मुख्य कार्य निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :- कला संस्कृति विकास योजना (₹ 20 करोड़) दांडी स्मारक के निर्माण कार्य के लिए। (d)

अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को दृष्टिगत रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

(₹ 0.25 crore), (iii) National Library (₹ 0.05 crore), (iv) Anthropological Survey of India (₹ 0.05 crore), (v) National Museum (₹ 0.05 crore) (vi) National Research Laboratory for Conservation of Cultural property (₹ 0.05 crore), (vii) National Gallery of Modern Arts (₹ 0.05 crore) and (viii) Central Reference Library (₹ 0.08 crore.).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For providing Grant-in-aid General under the Scheme National Archives of India for holding exhibitions/seminars in NER (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

For providing additional funds under Major Works under the Scheme Kala Sanskriti Vikas Yojana for construction of Dandi Memorial (₹ 20 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.76	27743.95	27744.71
पूंजी	Capital	35.00	5488.69	5523.69
जोड़	Total	35.76	33232.64	33268.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	36.82	36.82
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	36.82	36.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	35.76	33269.46	33305.22
राजस्व	Revenue	0.76	27780.77	27781.53
पूंजी	Capital	35.00	5488.69	5523.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	36.82	36.82

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

छावनी बोर्ड वाराणसी के अन्तर्गत फुलवारिया मार्ग बनाने और/उसे चौड़ा करने के लिए रक्षा सम्पदा संगठन के तहत छावनी बोर्ड को ₹ 36.82 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

providing additional grants for creation of Capital Assets of ₹ 36.82 crore to Cantonment Boards under Defence Estates Organisation towards construction/widening of Phulwaria Marg under Cantonment Board, Varanasi.

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	107.34	195309.04	195416.38
पूंजी	Capital
जोड़	Total	107.34	195309.04	195416.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.34	195309.05	195416.39
राजस्व	Revenue	107.34	195309.05	195416.39
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय समुद्रीय फाउंडेशन को (₹ 1.50 करोड़) सहायता अनुदान प्रदान करना।

इस अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants is required for:

providing Grants in aid (₹ 1.50 crore) to National Maritime Foundation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	148.06	86339.95	86488.01
जोड़	Total	148.06	86339.95	86488.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	80.00	...	80.00
जोड़	Total	80.00	...	80.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	228.06	86339.95	86568.01
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	228.06	86339.95	86568.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	80.00	...	80.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक अदालत, कोलार से उद्भूत भूमि अधिग्रहण हेतु भुगतान।

इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा चूंकि इस अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों द्वारा इसका मिलान किया जाएगा।

The supplementary grants is required for:

payment towards land acquisition arising out of Lok Adalat, Kolar.

This will not entail cash outgo as the same will be matched by equivalent savings available in voted section of the Grant.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	2084.45	2084.45
पूंजी	...	708.00	708.00
जोड़	...	2792.45	2792.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी
जोड़	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2792.48	2792.48
राजस्व	...	2084.48	2084.48
पूंजी	...	708.00	708.00

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total**Supplementary Estimate of the amount now required:**

Revenue

Capital

Total**Total (Original plus Supplementary)****Revenue****Capital****Total**

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.03	0.03
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2250-Other Social Services	...	0.01 (का)	0.01
2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	क्षमता निर्माण और प्रचार स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कारण ₹ 7 करोड़ का व्यय पूरा करना।	(a)	meeting the expenditure of ₹ 7 crore on account of Swachhta Action Plan under the scheme Capacity Building & Publicity.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	निम्नलिखित के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के लिए ₹ 18.66 करोड़ प्रदान करना (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना (₹ 5 करोड़), (ii) पूर्वोत्तर सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (₹ 5 करोड़) और पूर्वोत्तर परिषद (₹ 8.66 करोड़)।	(b)	providing funds of ₹ 18.66 crore for Swachh Action Plan under (i) North East Rural Livelihood Project (NERLP) (₹ 5 crore), (ii) North Eastern Community Resource Management Project (NERCORM) (₹ 5 crore) and (iii) North Eastern Council (NEC) (₹ 8.66 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	केन्द्रीय पूल के अव्यपगत संसाधन-राज्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना हेतु ₹ 80 करोड़ निधि प्रदान करना।	(c)	providing funds of ₹ 80 crore for Swachhta Action Plan under Non-Lapsable Central Pool of Resources - State (NLCPR -State).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3690.00	3690.00
पूंजी	Capital	...	349.00	349.00
जोड़	Total	...	4039.00	4039.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	100.00	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4139.00	4139.00
राजस्व	Revenue	...	3790.00	3790.00
पूंजी	Capital	...	349.00	349.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	100.00	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) भीम के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना (₹ 50 करोड़) (ii) प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (₹ 50 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards (i) promotion of digital payment through BHIM (₹ 50 crore) (ii) Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) (₹ 50 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	4002.69	4002.69
पूंजी	...	40.03	40.03
जोड़	...	4042.72	4042.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी	0.67	...	0.67
जोड़	0.67	0.03	0.70
जोड़ (मूल और पूरक)	0.67	4042.75	4043.42
राजस्व	...	4002.72	4002.72
पूंजी	0.67	40.03	40.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	...	0.01 (का)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (गं)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	0.67 (घद)	...	0.67
जोड़ (पूरक)	0.67	0.03	0.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को वेतन सहायता अनुदान व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 15 करोड़) (ii) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप वन वृक्षारोपण विकास निगम को वेतन सहायता अनुदान (₹ 125.72 करोड़) और (iii) भारतीय वन्य जीव संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 1.70 करोड़)	(a)	meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-Salaries to Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 15 crore)(ii) Grants-in-aid-Salaries to Andaman & Nicobar Islands Forests Plantation Development Corporation (₹ 125.72 crore) and (iii) Grants for creation of capital assets to wildlife Institute of India (₹ 1.70 crore)
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 5 करोड़)	(b)	meeting expenditure towards Grants for creation of capital assets under Climate Change Action Plan (₹ 5 crore).
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखकर सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	वन्यजीवों के प्राकृतवास के एकीकृत विकास (ईएपी) में सामान्य सहायता अनुदान सामान्य के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 10 करोड़)	(c)	meeting expenditure towards Grants-in-aid-General to Integrated Development of Wildlife Habitats (EAP) (₹ 10 crore)
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	मध्यस्थता पंचाट हेतु राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के लिए मुख्य कार्यों का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.67 करोड़)	(d)	meeting expenditure towards Major works for National Zoological Park for arbitration award (₹ 0.67 crore).
	उपर्युक्त पर नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	4302.79	4302.79
पूंजी	...	11153.05	11153.05
जोड़	...	15455.84	15455.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	98.46	98.46
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	98.47	98.47
जोड़ (मूल और पूरक)	...	15554.31	15554.31
राजस्व	...	4401.25	4401.25
पूंजी	...	11153.06	11153.06

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue ... 4302.79 4302.79
 Capital ... 11153.05 11153.05
Total ... 15455.84 15455.84

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue ... 98.46 98.46
 Capital ... 0.01 0.01
Total ... 98.47 98.47
Total (Original plus Supplementary) ... 15554.31 15554.31
 Revenue ... 4401.25 4401.25
 Capital ... 11153.06 11153.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	...	0.01 (का)	0.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	...	0.01 (खb)	0.01
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	...	64.43 (गc)	64.43
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	...	34.00 (घd)	34.00
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	...	0.01 (डेe)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	98.46	98.46
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	98.47	98.47

REVENUE SECTION**MAJOR HEAD**

2052-Secretariat-General Services ... 0.01 (का) 0.01
 2075-Miscellaneous General Services ... 0.01 (खb) 0.01
 2250-Other Social Services ... 64.43 (गc) 64.43
 3466-International Financial Institutions ... 34.00 (घd) 34.00
 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries ... 0.01 (डेe) 0.01
Total (Revenue Section) ... 98.46 98.46

CAPITAL SECTION**MAJOR HEAD**

7610-Loans to Government Servants, etc. ... 0.01 (चf) 0.01
Total (Supplementary) ... 98.47 98.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के कार्यान्वयन के लिए ₹ 0.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।	(a)	An additional amount of ₹ 0.25 crore is required for implementation of Swachhta Action Plan(SAP).
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is being sought.
(ख)	एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 200 करोड़ राशि की आवश्यकता है।	(b)	An amount of ₹ 200 crore is required towards Reimbursement of MDR Charges.
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is being sought.
(ग)	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को ₹ 64.43 करोड़ की अतिरिक्त राशि अंतरित करने की आवश्यकता है।	(c)	Additional amount of ₹ 64.43 crore is required to be transferred to Senior Citizen Welfare Fund.
	भारत के समेकित निधि में जमा किए गए दावा न किए गए धन की प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त पर नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the receipts of unclaimed money deposited in Consolidated Fund of India, this will not entail cash outgo.
(घ)	अफ्रीकी विकास कोष (एफडीएफ) के लिए सदस्यता के लिए अतिरिक्त राशि के लिए ₹ 34 करोड़ की आवश्यकता है।	(d)	Additional amount of ₹ 34 crore is required towards Subscription to African Development Fund (AfDF).
	उपरोक्त पर नकद व्यय नहीं होगा। यह प्रतिभूतियों के रूप में रसीदों से मेल खाएगा।		There will be no cash outgo as this will be matched by receipts in the form of securities.
(ङ)	भारत- जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग के अन्तर्गत जीआईजेड में सेवा कर के लिए ₹ 8 करोड़ की प्रतिपूर्ति।	(e)	reimbursement of ₹ 8 crore towards Service Tax to GIZ under the Indo-German Bilateral Development Co-operation.
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	सांसदों के लिए मोटर कन्वेंश आदि की खरीद के लिए अग्रिम के लिए अतिरिक्त ₹ 0.24 करोड़ की आवश्यकता है।	(f)	Additional amount of ₹ 0.24 crore is required for Advances for purchase of Motor Conveyances etc. for MPs.
	अनुदान के इसी भाग के उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	480.00	480.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	480.00	480.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2.00	2.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2.00	2.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	482.00	482.00
राजस्व	Revenue	...	482.00	482.00
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	2.00	2.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यय विभाग के सम्मेलन कक्षों का नवीकरण और मरम्मत कार्य (₹ 2 करोड़)।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

repair and renovation of Conference Halls of D/o Expenditure (₹ 2 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	834.83	834.85
पूँजी	Capital	...	2.43	2.43
जोड़	Total	0.02	837.26	837.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	837.27	837.29
राजस्व	Revenue	0.02	834.84	834.86
पूँजी	Capital	...	2.43	2.43
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्र सरकार के विरुद्ध वोडाफोन, कैर्न और वेदान्त द्वारा किए गए अन्तरराष्ट्रीय मध्यस्था मामलों को प्रारंभ करने के लिए ₹ 42 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

meeting the expenditure of ₹ 42 crore in pursuing international arbitration case instituted by Vodafone, Cairn and Vedanta against Union Government.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	5881.85	5881.85
पूंजी	...	228.79	228.79
जोड़	...	6110.64	6110.64
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	5881.85	5881.85
Capital	...	228.79	228.79
Total	...	6110.64	6110.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व
पूंजी	...	0.02	0.02
जोड़	...	0.02	0.02
Total (Original plus Supplementary)	...	6110.66	6110.66
राजस्व	...	5881.85	5881.85
पूंजी	...	228.81	228.81

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (का)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	0.02	0.02
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01
4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	0.01
Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	लखनऊ में कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 20 करोड़ रुपए) और इर्नाकुलम कोची में कार्यालय परिसर के निर्माण (₹ 7.30 करोड़ रुपए) और की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(a)	additional expenditure towards construction of Office Building at Lucknow (₹ 20 crore) and construction of Office Complex at Ernakulam, Kochi (₹ 7.30 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	मजूरा गेट, सूरत में 58 आवासीय क्वार्टर और सामुदायिक भवन के निर्माण (₹ 5.97 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(b)	additional expenditure towards construction of 58 residential quarters and community hall, Majura Gate, Surat (₹ 5.97 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	0.50	5861.44	5861.94
पूंजी	...	228.07	228.07
जोड़	0.50	6089.51	6090.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	386.43	386.43
पूंजी	...	163.57	163.57
जोड़	...	550.00	550.00
जोड़ (मूल और पूरक)	0.50	6639.51	6640.01
राजस्व	0.50	6247.87	6248.37
पूंजी	...	391.64	391.64

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	...	386.43	(का) 386.43
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	...	163.57	(खब) 163.57
जोड़ (पूरक)	...	550.00	550.00

REVENUE SECTION**MAJOR HEAD**

2038-Union Excise Duties

CAPITAL SECTION**MAJOR HEAD**

4216-Capital Outlay on Housing

Total (Supplementary)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	जीएसटी के प्रति जागरूकता का प्रभावशाली तरीके से प्रचार करने के लिए ₹ 250 करोड़ रुपए।	(a)	(i)	₹ 250 crore for effective publicity for GST awareness.
	(ii)	जीएसटीएन को अग्रिम प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान के लिए डीजी सिस्टम हेतु ₹ 99.34 करोड़ का व्यय और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक सीबीईसी के लिए जीएसटी के लेखाकरण पोर्टल के लिए ₹ 37.09 करोड़ का व्यय पूरा करना। उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।		(ii)	meeting expenditure amounting to ₹ 99.34 crore for DG Systems for payment of Advance User Charges to GSTN and ₹ 37.09 crore for Accounting Portal of GST for Pr. CCA, CBEC. The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)		खरगार मुंबई में सीआईडीसीओ से तैयार रिहायशी क्वार्टरों की खरीद (₹ 163.57 करोड़)। उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।	(b)		purchase of ready built residential quarters from CIDCO at Kharghar Mumbai (₹ 163.57 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO 38 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	5085304.76	...	5085304.76
जोड़	Total	5085304.76	...	5085304.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	0.01	...	0.01
जोड़	Total	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5085304.77	...	5085304.77
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	5085304.77	...	5085304.77
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	0.01	...	0.01

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation is required for:

- (i) नकद प्रबन्धन हुण्डियों की वापसी अदायगी हेतु (₹ 150000 करोड़) की अतिरिक्त राशि।
- (ii) बाजार स्थिरीकरण हुंडियों/बांडों के तहत राजकोषीय हुंडियों/नकदी प्रबंधन हुंडियों के लिए ₹ 100000 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
- अनुदान के इस खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (i) additional amount of ₹ 150000 crore for repayment of Cash Management Bills.
- (ii) additional amount of ₹ 100000 crore for repayment of Treasury Bills / Cash Management Bills under Market Stabilisation Bills / Bonds.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	103101.38	35500.00	138601.38
पूंजी	Capital	18600.00	...	18600.00
जोड़	Total	121701.38	35500.00	157201.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	121701.38	35500.01	157201.39
राजस्व	Revenue	103101.38	35500.01	138601.39
पूंजी	Capital	18600.00	...	18600.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संविधान के भाग IX और भाग IXक द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान स्कीम के तहत निधियां प्रदान करना (₹ 500 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 500 करोड़ की बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

Providing funds under the scheme- 'Grants to areas not covered by Part IX and Part IXA of the constitution' (₹ 500 crore)

Taking into account the savings of ₹ 500 crore available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	800.00	800.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	800.00	800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	800.01	800.01
राजस्व	Revenue	...	800.01	800.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

- (i) वर्ल्ड फूड इंडिया संस्था, 2017 के लिए मानव संसाधन एवं संस्था स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 15.75 करोड़)।
- (ii) मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के कार्यान्वयन हेतु 'अन्य प्रभार' के लिए निधियां उपलब्ध कराना (₹ 0.07 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है

- (i) providing additional Grants-in-aid-General to Scheme for Human Resource and Institutions for World Food India, 2017 (₹ 15.75 crore).
- (ii) providing funds for implementation of Swachhta Action Plan(SAP) under 'Other Charges' of various Schemes (₹ 0.07 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47033.65	47033.65
पूँजी	Capital	...	3508.81	3508.81
जोड़	Total	...	50542.46	50542.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूँजी	Capital	...	132.91	132.91
जोड़	Total	...	132.91	132.91
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	50675.37	50675.37
राजस्व	Revenue	...	47033.65	47033.65
पूँजी	Capital	...	3641.72	3641.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	132.90 (खब)	132.90
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	132.91	132.91

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	एम्स की तरह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल-सह शिक्षण संस्थान के स्थापना-पीएमएसएसवाई और मशीनों और उपकरणों को खरीदकर राज्य सरकार के हास्पिटलों को उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 400 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	For meeting additional expenditure under the PMSSY - Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Govt. Hospitals for procurement of Machinery & Equipment (₹ 400 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	एम्स की तरह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल-सह शिक्षण संस्थान के स्थापना-पीएमएसएसवाई, और सरकारी हास्पिटलों को अपग्रेड करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 132.90 करोड़)। इस अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपरोक्त पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	For meeting additional expenditure towards PMSSY- Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 132.90 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	4777.00	4777.03
पूंजी	Capital	...	322.97	322.97
जोड़	Total	0.03	5099.97	5100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	5099.98	5100.01
राजस्व	Revenue	0.03	4777.01	4777.04
पूंजी	Capital	...	322.97	322.97
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गृह मंत्रालय में परियोजना निगरानी एकक बनाने के लिए नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

opening of new head of account for setting up of Project Monitoring Unit (PMU) in MHA (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	730.00	730.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	730.00	730.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	730.01	730.01
राजस्व	Revenue	...	730.01	730.01
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद्	2013-Council of Ministers	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सिनर्जी परियोजनाओं के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करना
(₹ 25 करोड़ रुपये)।अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान
मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

Release of grants for creation of capital assets under Synergy
Projects (₹ 25 crore)Taking into account the savings available in the same section of the
Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.34	67536.60	67544.94
पूंजी	Capital	6.72	11171.64	11178.36
जोड़	Total	15.06	78708.24	78723.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15.06	78708.26	78723.32
राजस्व	Revenue	8.34	67536.61	67544.95
पूंजी	Capital	6.72	11171.65	11178.37
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना (सामान्य सहायता अनुदान) (₹ 0.56 करोड़) और मानव तस्करी विरोधी कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक खर्चों के लिए (₹ 0.70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	release of funds to UTs without legislature (GIA General) (₹ 0.56 crore) and for Administrative Expenses (OAE) (₹ 0.70 crore) for Anti Human Trafficking Activities . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में बाहरी सीमा चौकी निर्माण कार्य (₹ 200 करोड़ रुपए) (ii) सीआरपीएफ द्वारा कार्यालय भवन/आवासीय भवन (मुख्य निर्माण कार्य) के लिए स्वच्छता कार्य योजना (₹ 146.50 करोड़ रुपए)। (iii) सीएपीटी हेतु कार्यालय भवन (₹ 27.80 करोड़ रुपए) और (iv) बीपीआर एवं डी के लिए कार्यालय भवन (₹ 9.20 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) construction of Border Out Posts Work in West Bengal under Indo-Bangladesh Border Works (₹ 200 crore) (ii) Swachchhata Action Plan for Office Building/Residence Building(major work) by CRPF(₹ 146.50 crore) (iii) office building for Central Academy for Police Training (₹ 27.80 crore) and for Bureau of Police Research and Development(₹ 9.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	Capital	...	526.59	526.59
जोड़	Total	0.01	4263.27	4263.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	4263.28	4263.29
राजस्व	Revenue	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	Capital	...	526.60	526.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

“पोर्ट ब्लेयर में 1524 मीटर (500 फीट) रन-वे का विस्तार” (₹ 7.08 करोड़)
संबंधी कार्य के लिए मध्यस्थता पंचाट हेतु व्यय की पूर्ति।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants is required for:

Meeting expenditure towards Arbitration Awards in respect of work
"Extension of Runway 1524 mtrs (500 ft) at Port Blair" (₹ 7.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the
Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51
दादरा और नगर हवेली
DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	686.45	686.46
पूंजी	Capital	...	389.16	389.16
जोड़	Total	0.01	1075.61	1075.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8.40	8.40
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8.40	8.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1084.01	1084.02
राजस्व	Revenue	0.01	694.85	694.86
पूंजी	Capital	...	389.16	389.16
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	5.00 (का)	5.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	2.00 (खb)	2.00
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	1.40 (गc)	1.40
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	8.40	8.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन हेतु संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के रूप में सिलवासा नगर परिषद को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान जारी किए जाने संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Meeting additional expenditure for release of Grant-in-Aid for creation of Capital Asset to Silvassa Municipal Council as UT share for implementation of Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	अनुपूरक पोषण योजना हेतु खादय सामग्री के प्रापण, परिवहन तथा एकीकृत बाल विकास योजना कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए टॉपअप के रूप में पंचायतों को सहायता अनुदान जारी करने संबंधी अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Meeting additional requirement for release of Grants-in-Aid General to Panchayat as top up for supplementary nutrition scheme for procurement of food stuff, transportation and for additional honorarium to be paid to Integrated Child Development schemes functionaries. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	निवेश संवर्धन योजना-2015 के तहत ब्याज सब्सिडी की सहायता जारी करने के लिए अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं होगा।	(c)	Meeting additional requirement for release of assistance of interest subsidy under Investment Promotion Scheme-2015. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	1288.09	1288.11
पूंजी	Capital	...	296.95	296.95
जोड़	Total	0.02	1585.04	1585.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	1585.05	1585.07
राजस्व	Revenue	0.02	1288.09	1288.11
पूंजी	Capital	...	296.96	296.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दीव जिले में प्रमुख कार्यों के तहत (₹ 3 करोड़) फिशिंग प्लेटफॉर्म तथा 92 मीटर लंबी पाइल जैट्टी के निर्माण संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

Meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for construction of Fishing Platform & construction of 92 mtrs long Pile Jetty at Diu District (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

पुडुचेरी को अंतरण

TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	...	1411.01	1411.01
पूंजी	Capital	...	72.00	72.00
जोड़	Total	...	1483.01	1483.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	17.70	17.70
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	17.70	17.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1500.71	1500.71
राजस्व	Revenue	...	1428.71	1428.71
पूंजी	Capital	...	72.00	72.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	17.70	17.70
--	---	-----	-------	-------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

वर्ष 2016-2017 में सूखे के परिणामस्वरूप पुडुचेरी के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल द्वारा सिफारिश किए गए मुआवजे के परिणामस्वरूप व्यय को वहन करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने हेतु।

for opening of new head of account- to meet expenditure on account of compensation recommended by Inter-Ministrial Central Team for Puducherry in wake of drought 2016-17.

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	67459.05	67459.05
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	67459.05	67459.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	67459.09	67459.09
राजस्व	Revenue	...	67459.09	67459.09
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वांचल क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गक)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary grants are required for:		
(क)	नवोदय विद्यालय समिति स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 300 करोड़), और सर्व शिक्षा अभियान (₹ 117.19 करोड़)।	(a)	Providing Grants-in-Aid General under the Scheme of Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 300 crore) and Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 117.19 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	(i) सामान्य सहायता अनुदान -एसएसए (₹ 283.44 करोड़), और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 70 करोड़)।	(b)	(i) Providing Grants in Aid General under the Scheme of SSA (₹ 283.44 crore) and Rashtriya Madayamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 70 crore)	
	(ii) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-आरएमएसए (₹ 1.20 करोड़)	(ii)	Providing Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme of RMSA (₹ 1.20 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) सामान्य सहायता अनुदान -एसएसए (₹ 65 करोड़), आरएमएसए (₹ 14.90 करोड़)	(c)	(i) Providing Grants in Aid General under the Scheme of SSA (₹ 65 crore) and under the Scheme of RMSA (₹ 14.90 crore)	
	(ii) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-आरएमएसए (₹ 7.13 करोड़)	(ii)	Providing Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme of RMSA (₹ 7.13 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	सामान्य सहायता अनुदान -एसएसए (₹ 0.10 करोड़)	(d)	providing Grants in Aid General under the Scheme of SSA (₹ 0.10 crore)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	33079.70	33079.70
पूंजी	Capital	...	250.00	250.00
जोड़	Total	...	33329.70	33329.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	33329.73	33329.73
राजस्व	Revenue	...	33079.73	33079.73
पूंजी	Capital	...	250.00	250.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary grants are required for:	
(क)	(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 183.80 करोड़)	(a)	(i) Providing GIA General under the Scheme Grant to Central Universities (₹ 183.80 Crore)
	(ii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-ऑरोविले प्रबंधन (₹ 10 करोड़)		(ii) Providing Grant for creation of capital assets under the scheme Auroville Management (₹ 10 crore).
	(iii) लघु कार्य, अनुरक्षण केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (भारतीय भाषा संस्थान)(₹ 2 करोड़)		(iii) Minor works, Maintenance for the Scheme Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers (₹ 2 Crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता प्रदान करना (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 11.45 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहायता (₹ 80 करोड़) और (iii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1.40 करोड़)	(b)	(i) Providing GIA General under the Scheme (i) National Testing Agency (₹ 11.45 Crore) (ii) Support to Indian Institutes of Management (₹ 80 Crore) and (iii) Swachhta Action Plan (SAP) (₹1.40 Crore).
	(ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (i) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (₹ 6.55 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्य योजना (₹ 1 करोड़)		(ii) Providing Grants for creation of capital assets under the scheme (i) National Testing Agency (₹ 6.55 Crore) and (ii) Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 1 Crore)
	(iii) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन प्रदान करना (₹ 7 करोड़)		(iii) Providing Grant in aid Salaries under the scheme National Testing Agency (₹ 7 Crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) भारतीय भाषाओं के विकास के लिए अनुदान - स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान-(₹ 12.15 करोड़)	(c)	(i) Providing Grants for creation of capital assets under the scheme Grants for Promotion of Indian Languages (₹ 12.15 Crore)
	(ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 416.20 करोड़)		(ii) Providing Grant in aid Salaries under the scheme Grants to Central Universities (₹ 416.20 Crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4379.90	4379.90
पूंजी	Capital	...	29.10	29.10
जोड़	Total	...	4409.00	4409.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4409.02	4409.02
राजस्व	Revenue	...	4379.92	4379.92
पूंजी	Capital	...	29.10	29.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01 (का)	0.01
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत स्वायत्त एशासी निकायों आईआईएमसी, पीसीआई, सीएफएसआई, एफटीआईआई तथा एसआरएफटीआई के लिए नया प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य खोलने के लिए (₹ 0.22 करोड़) सहायता-अनुदान।	(a)	opening of New Object head Grants-in-aid General for Autonomous Bodies (IIMC, PCI, CFSI, FTII & SRFTI) for Swachchata Action Plan(SAP) (₹ 0.22 Crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	प्रसार भारती के लिए नया प्रयोजन शीर्ष सहायता अनुदान सामान्य स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) खोलने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।	(b)	opening of New Object head Grants-in-aid General for Swachchata Action Plan(SAP) for Prasara Bharati (₹ 0.10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7355.53	7355.53
पूंजी	Capital	...	22.85	22.85
जोड़	Total	...	7378.38	7378.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	19.00	19.00
जोड़	Total	...	19.00	19.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7397.38	7397.38
राजस्व	Revenue	...	7355.53	7355.53
पूंजी	Capital	...	41.85	41.85
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	19.00	19.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रयोजन शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत बेहतर सामाधान, निवारक मध्यस्थता, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन की मशीनरी की योजना के अन्तर्गत (₹ 19 करोड़) की राशि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants is required for:

meeting the additional requirement (₹ 19 crore) under the scheme of 'Machinery for Better Conciliation, Preventive Mediation, Effective Enforcement of Labour Laws, Chief Labour Commissioner' under the object head Major Works.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	6471.36	6471.36
पूंजी	...	10.60	10.60
जोड़	...	6481.96	6481.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी
जोड़	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	...	6481.98	6481.98
राजस्व	...	6471.38	6471.38
पूंजी	...	10.60	10.60

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(क) ग्रामोद्योग अनुदान के तहत "सहायता अनुदान सामान्य" के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 24.75 करोड़) को पूरा करना। अनुदान के इस भाग के उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Meeting the additional requirement (₹ 24.75 crore) as "Grants in Aid General" under Village Industries Grant. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(ख) एससी घटक (₹ 16.23 करोड़) और एसटीघटक के तहत "सहायता अनुदान सामान्य" के रूप में ग्रामोद्योग के अनुदान के तहत (₹ 8.80 करोड़) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Meeting the additional requirement under Village Industries Grant as "Grants in Aid General" (₹ 16.23 Crores) under SC Component and (₹ 8.80 Crores) ST Component. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4025.48	4025.48
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00
जोड़	Total	...	4195.48	4195.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4195.51	4195.51
राजस्व	Revenue	...	4025.51	4025.51
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(का) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(खb) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।	(a)	For Meeting additional expenditure under the Swachhta Action Plan (₹ 0.10 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(b)	providing Grant in Aid General under the Scheme of Maulana Azad Education Foundation for meeting expenditure under Sawachhta Action Plan (₹ 10 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान अपेक्षित है:- मीडिया अभियान (₹ 0.30 करोड़) तथा अनुसंधान अध्ययन मॉनीटरिंग तथा योजनाओं का मूल्यांकन (₹ 0.20 करोड़)।	(c)	For Meeting expenditure on Swachhta Action Plan under Media Campaign (₹ 0.30 crore) and Research Studies Monitoring and Evaluation of schemes (₹ 0.20 crore).
	अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.49	1266.60	1271.09
पूँजी	Capital	2.00	149.91	151.91
जोड़	Total	6.49	1416.51	1423.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूँजी	Capital	...	0.08	0.08
जोड़	Total	...	0.13	0.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6.49	1416.64	1423.13
राजस्व	Revenue	4.49	1266.65	1271.14
पूँजी	Capital	2.00	149.99	151.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का) 0.01
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01	(खb) 0.01
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	...	0.01	(गc) 0.01
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(घd) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(डेe) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.05	0.05
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.08	(चf) 0.08
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.13	0.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ई-सेवा पुस्तिका/केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का रिकार्ड के अंतर्गत प्रावधान करना (₹ 27 करोड़) और (ii) डीपीओटीडीएआरपीजी और पेंशन एवं पी डब्ल्यू विभाग के संबंध में स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करना (₹ 0.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) एसएससी द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करना। (₹ 0.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) सी.बी.आई द्वारा स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्रावधान करना। (₹ 0.80 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) एन सी जी जी को अनुदान संबंधी नया लेखा शीर्ष ((i) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) ((ii) सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़) ((iii) पूँजी अस्तित्व के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 8.70 करोड़) II. आईएसटीएम सीआईसी एलबीएसएनए और पीएसईबी के लिए स्वच्छता कार्य योजना।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Making provision under "e-Service Book/Records of Central Govt. employees" (₹ 27 crore) and (ii) making provision for Swachhta Action Plan in respect of Deptt. of Personnel & Training, Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances and Deptt. of Pensions & Pensioners Welfare. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) making provision for the Swachhta Action Plan by Central Administrative Tribunal (₹ 0.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Making provision for Swachhta Action Plan by Staff Selection Commission (₹ 0.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) making provision for Swachhta Action Plan by Central Bureau of Investigation (₹ 0.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) I. New Head of Accounts in respect of Grants to National Centre for Good Governance (i) GIA General (₹ 3 crore) (ii) GIA Salaries (₹ 5 crore) and (iii) GIA for creation of capital asset (₹ 8.70 crore) II. making provision for Swachhta Action Plan for Institute of Secretariat Training & Management, Central Information Commission, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Public Enterprise Selection Board. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, Token supplementary is sought.
- (f) purchase of office accommodation for Staff Selection Commission (₹ 0.08 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (च) एसएससी के लिए कार्यालय आवास की खरीद (₹ 0.8 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व/पूँजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	27.68	...	27.68
पूंजी	Capital
जोड़	Total	27.68	...	27.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27.69	...	27.69
राजस्व	Revenue	27.69	...	27.69
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	0.01	...	0.01

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद द्वारा चलाई गई सरकारी एकीकृत सूचकांक संगठन परियोजना के विकास के लिए (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary appropriation is required for:

Development of Integrity Index for Public Organisation Project undertaken by Indian Institute of Management , Ahmadabad (₹ 1 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25310.37	25310.37
पूंजी	Capital	...	3847.20	3847.20
जोड़	Total	...	29157.57	29157.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7000.00	7000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	7000.00	7000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	36157.57	36157.57
राजस्व	Revenue	...	32310.37	32310.37
पूंजी	Capital	...	3847.20	3847.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	7000.00	7000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विशेष सहायता के रूप में "राज्य सरकारों को भिन्न रोयल्टी का भुगतान" योजना के अन्तर्गत बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7000 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 7000 crore) to State Governments for the payment of outstanding amount under the scheme "Payment of Differential Royalty to State Governments" as special assistance.

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	252.09	252.09
पूंजी	Capital	...	0.43	0.43
जोड़	Total	...	252.52	252.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	252.53	252.53
राजस्व	Revenue	...	252.10	252.10
पूंजी	Capital	...	0.43	0.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नव परिवर्तन मिशन (एआईएम) (₹ 20 करोड़) (ii) यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना "विकेन्द्रीकृत क्षमता सुदृढीकरण योजना" (₹ 0.25 करोड़)

Meeting additional expenditure towards Grants in aid General for (i) Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹ 20 crore)(ii) UNDP assisted project "Strengthening Capacities for Decentralized Planning" (₹ 0.25 crore).

अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.02	386.38	387.40
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.02	386.38	387.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.02	386.39	387.41
राजस्व	Revenue	1.02	386.39	387.41
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

- | | |
|--|--|
| (i) 'सदस्य', 'सचिवालय' और 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्ष के तहत सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े घटकों के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)" पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 3.72 करोड़)। | (i) meeting expenditure on "Information Technology (Other Charges)" for IT related components under sub-heads "Members", Secretariat and 'Rajya Sabha Television (RSTV)' (₹ 3.72 crore). |
| (ii) 'सदस्य' और 'प्रतिपक्षी नेता' उप-शीर्ष के तहत 'चिकित्सा उपचार' पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.55 करोड़)। | (ii) meeting expenditure on 'Medical Treatment' under sub-heads 'Members' and 'Leader of Opposition' (₹ 1.55 crore). |
| (iii) सचिवालय और 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्ष के तहत "विज्ञापन और प्रचार" पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 8.50 करोड़)। | (iii) meeting expenditure on 'Advertisement and Publicity' under the sub-heads 'Secretariat' and 'Rajya Sabha Television (RSTV)' (₹ 8.50 crore). |
| (iv) 'राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी)' उप-शीर्ष के तहत "किराया, दरों एवं करों" पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 28 करोड़)। | (iv) meeting expenditure on 'Rent, Rates & Taxes' under Sub-head 'Rajya Sabha Television (RSTV)' (₹ 28 crore). |
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 'बचत' को ध्यान में रखते हुए पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	158.23	236461.18	236619.41
पूंजी	Capital	38.01	194303.45	194341.46
जोड़	Total	196.24	430764.63	430960.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	196.24	430764.64	430960.88
राजस्व	Revenue	158.23	236461.18	236619.41
पूंजी	Capital	38.01	194303.46	194341.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य और सामरिक लाइन पर पूंजी परिव्यय (5002 और 5003)	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial and Strategic Lines (5002 and 5003)	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

- (i) बनासवाडी - मुख्य लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट रैक हेतु अनुरक्षण सुविधाओं की संवृद्धि, लागत ₹ 5.23 करोड़ और सरकारी निजी भागीदारी परियोजना (₹ 20.91 करोड़)- पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, दक्षिण पश्चिम रेलवे हेतु - कारखाने उत्पादन इकाइयों सहित ।
- (ii) सालारपुर-मालगाड़ी टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकास, लागत ₹ 130.83 करोड़-पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, उत्तर रेलवे हेतु यातायात सुविधाएं यार्ड के ढांचे में परिवर्तन सहित।
- (iii) वस्तु एवं सेवा कर मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए अभिकल्प, विकास व कंप्यूटरीकरण, लागत ₹ 41.72 करोड़ (विकास निधि के तहत)- पूंजी शीर्ष के अंतर्गत, उत्तर रेलवे हेतु संगणकीकरण ।

- (i) Banaswadi - Enhancement of maintenance facilities for Mainline Electrical Multiple Unit rakes costing ₹ 5.23 crore and Public Private Partnership project (₹ 20.91 crore)-under capital head - Workshops including Production Units for South Western Railway.
- (ii) Salarpur - Development as freight terminal station costing ₹ 130.83 crore under Capital head - Traffic Facilities-Yard Remodelling and Others for Northern Railway.
- (iii) Design, development and computerisation towards implementation of Goods and Service Tax module costing ₹ 41.72 crore (through Development Fund) under capital head - Computerisation for Northern Railway.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है ।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19903.48	19903.48
पूंजी	Capital	10.00	100455.66	100465.66
जोड़	Total	10.00	120359.14	120369.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	120359.16	120369.16
राजस्व	Revenue	...	19903.49	19903.49
पूंजी	Capital	10.00	100455.67	100465.67
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	केन्द्रीय सड़क निधि को अंतर खाता अंतरण ₹ 7237.78 करोड़ ।	(a)	Inter Account Transfer to Central Road Fund (CRF) (₹ 7237.78 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है ।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) प्रमुख 'राष्ट्रीय राजमार्ग मूल काम' के तहत प्रमुख कार्यों पर (₹ 3,000 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।	(b)	(i) meeting additional expenditure on Major Works under 'National Highways Original Works' (₹ 3000 crore).
	(ii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत - विश्व बैंक, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर-संपर्क सुधार कार्यक्रम के मुख्य- कार्यों पर (₹ 175 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(ii) meeting additional expenditure on Major Works under the World Bank Externally Aided Schemes of National Highway Inter-connectivity Improvement Programme(NHIIP) (₹ 175 crore).
	(iii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं - विश्व बैंक, एनएचआईआईपी के तहत व्यावसायिक सेवाओं के मुख्य कार्यों पर (₹ 50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(iii) meeting additional expenditure on Professional Services under the World Bank Externally Aided Schemes under NHIIP (₹ 50 crore).
	(iv) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत - एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्यों पर (₹ 145 करोड़) रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(iv) meeting additional expenditure on Major Works under the Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 145 crore).
	(v) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के तहत - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मुख्य कार्यों पर (₹ 250 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(v) meeting additional expenditure of on Major Works under the Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 250 crore).
	(vi) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के तहत - विश्व बैंक, राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर- संपर्क सुधार कार्यक्रम के मुख्य कार्यों पर (₹ 123 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(vi) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for World Bank Externally Aided Schemes of NHIIP (₹ 123 crore).
	(vii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के तहत- एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्यों पर (₹ 147 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(vii) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for Asian Development Bank Externally Aided Schemes (₹ 147 crore).
	(viii) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए काउंटरपार्ट फंड के अंतर्गत - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के मुख्य कार्यों पर (₹ 83 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।		(viii) meeting additional expenditure on Major Works under the Counterpart Fund for Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 83 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है ।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	170436.63	170436.63
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
जोड़	Total	...	170441.88	170441.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	170441.94	170441.94
राजस्व	Revenue	...	170436.69	170436.69
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01 (गद)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	0.01 (घद)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01 (डे)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01 (च)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छ कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।	(a)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) (₹ 2 crore).
	अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(b)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under National Social Assistance Program(NSAP) (₹ 0.02 crore).
	अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 42.50 करोड़)।	(c) (i)	providing Grants-in-aid-General for Special Programme for Rural Development under Rural Self Employment Training Institute (RSETI) under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 42.50 crore);
	(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत किराया दर और कर (₹ 6.50 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(ii)	meeting expenditure under Rent, Rate and Taxes under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 6.50 crore);
	(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़)।	(iii)	providing Grant-in-aid-General for externally aided projects (EAP) component under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 50 crore);
	(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) (₹ 4.80 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(iv)	meeting Office Expenses (Information Technology) under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 4.80 crore);
	(v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्कीम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.01 करोड़)।	(v)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under the scheme National Rural Livelihood Mission (₹ 1.01 crore);
	अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छ कार्य योजना के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.01 करोड़)।	(d)	meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREGP)(₹ 1.01 crore)

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ड) (i) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विसतारित प्रशिक्षण केन्द्रों का सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 30 करोड़)।
- (ii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 70 करोड़)।
- (iii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) को पूरा करने के लिए (₹ 0.01 करोड़)।
- (iv) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा और स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.15 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) providing Grants-in-aid-General to State Institutes of Rural Development (SIRDs) / Extension Training Centres (ETCs) under other Rural Development Programme (₹ 30 crore);
- (ii) providing Grants-in-aid for creation of capital assets under other Rural Development Programme (₹ 70 crore)
- (iii) meeting Office expenses (Information Technology) under other Rural Development Programme (₹ 0.01 crore)
- (iv) meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (₹ 2 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (f) meeting expenditure on account of Swachhta Action Plan (SAP) and Internal Audit under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) (₹ 0.15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4821.76	4821.78
पूंजी	Capital	...	15.59	15.59
जोड़	Total	0.02	4837.35	4837.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	4837.36	4837.38
राजस्व	Revenue	0.02	4821.77	4821.79
पूंजी	Capital	...	15.59	15.59
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण" के "अनुसूचित जनजाति के घटक" के अंतर्गत 'अनुदान सहायता सामान्य' (₹ 6 करोड़ रूपए) व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards providing 'Grants-in-aid General' (₹ 6 crore) under "Scheduled Tribe Component" of "Science and Technology Institutional and Human Capacity Building".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2222.11	2222.11
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2222.11	2222.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2222.12	2222.12
राजस्व	Revenue	...	2222.12	2222.12
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वच्छता कार्य योजना (₹ 2.25 करोड़) का क्रियान्वयन।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary grants is required for:

Implementation of Swachhta Action Plan (₹ 2.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4439.25	4439.25
पूंजी	Capital	...	6.75	6.75
जोड़	Total	...	4446.00	4446.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4446.01	4446.01
राजस्व	Revenue	...	4439.26	4439.26
पूंजी	Capital	...	6.75	6.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास योजना के पेटेंट अर्जन और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस) के अंतर्गत (एक नये प्रयोजन शीर्ष) 'सब्सिडीज' पर ₹ 0.25 करोड़ व्यय के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants is required for:

meeting expenditure towards 'Subsidies' (new object head) under Patent Acquisition and Collaborative Research and Technology Development (PACE) of Industrial Research and Development Scheme (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

पोत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1668.84	1668.84
पूंजी	Capital	...	440.66	440.66
जोड़	Total	...	2109.50	2109.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2109.51	2109.51
राजस्व	Revenue	...	1668.85	1668.85
पूंजी	Capital	...	440.66	440.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants is required for:

- (i) 'जलमार्ग विकास परियोजना' (₹ 1 करोड़) के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराने और नया शीर्ष खोलने के लिए।
- (ii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ब्याज देयता और अन्य व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 28.70 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

- (i) opening of new head and providing Grants for creation of Capital Assets under 'Jal Marg Vikas Project' (₹ 1 crore).
- (ii) providing Grants-in-aid General for interest liability and other expenses to Inland Waterway Authority of India (₹ 28.70 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6589.78	6589.78
पूंजी	Capital	...	318.22	318.22
जोड़	Total	...	6908.00	6908.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6908.01	6908.01
राजस्व	Revenue	...	6589.79	6589.79
पूंजी	Capital	...	318.22	318.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बालक छात्रावास की योजना में (₹ 10 करोड़) की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी करने हेतु

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अनुदान प्रार्थित है।

The supplementary grants is required for:

Providing additional Grants for creation of capital Assets under the Scheme of Boys Hostel (₹ 10 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	822.26	822.26
पूंजी	Capital	...	32.74	32.74
जोड़	Total	...	855.00	855.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	855.01	855.01
राजस्व	Revenue	...	822.27	822.27
पूंजी	Capital	...	32.74	32.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दृष्टिहीन, बधिर, मानसिक मंदता तथा अस्थि विकलांग राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तार एवं सुधार की योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता जारी करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के संबंध में किया गया व्यय (₹ 0.90 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants is required for:

Providing GIA-General under the Scheme of Expansion and Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and the Orthopedically Handicapped under Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.90 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	4937.73	4938.33
पूंजी	Capital	0.40	4154.98	4155.38
जोड़	Total	1.00	9092.71	9093.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	9092.73	9093.73
राजस्व	Revenue	0.60	4937.74	4938.34
पूंजी	Capital	0.40	4154.99	4155.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	एनई-सेक योजना के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों को सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 12 करोड़)।	(a)	providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme NE-SAC (₹ 12 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	इस स्कीम के अन्तर्गत 'मशीनरी और उपकरण' के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) स्कैटसेट परियोजना (₹ 4.89 करोड़) (ii) रिसोर्स सेट-2ए परियोजना (₹ 0.66 करोड़) (iii) जीसेट-19 परियोजना (₹ 2.35 करोड़) और (iv) सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (₹ 36.50 करोड़)।	(b)	meeting additional expenditure on 'Machinery and equipment' under the scheme (i) Scattsat Project (₹ 4.89 crore) (ii) Resourcesat-2A Project (₹ 0.66 crore) (iii) GSAT-19 Project (₹ 2.35 crore) and (iv) Space Applications Centre under Information Technology (₹ 36.50 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4767.49	4767.49
पूंजी	Capital	...	28.25	28.25
जोड़	Total	...	4795.74	4795.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4795.75	4795.75
राजस्व	Revenue	...	4767.50	4767.50
पूंजी	Capital	...	28.25	28.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मांग मंत्रालय की 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत एमपीएलएडीएस की तीसरी पार्टी की निगरानी की आवश्यकता (₹ 5 करोड़) के लिए की गई है।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grants is required for:

meeting requirement for third party monitoring of MPLADS under 'Professional Services' of Ministry (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	6190.98	6190.98
पूँजी	...	35.52	35.52
जोड़	...	6226.50	6226.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूँजी	12.00	...	12.00
जोड़	12.00	0.04	12.04
जोड़ (मूल और पूरक)	12.00	6226.54	6238.54
राजस्व	...	6191.02	6191.02
पूँजी	12.00	35.52	47.52
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	6190.98	6190.98
Capital	...	35.52	35.52
Total	...	6226.50	6226.50
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	...	0.04	0.04
Capital	12.00	...	12.00
Total	12.00	0.04	12.04
Total (Original plus Supplementary)	12.00	6226.54	6238.54
Revenue	...	6191.02	6191.02
Capital	12.00	35.52	47.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01	(खb) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01	(गc) 0.01
2852-उद्योग	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04	0.04
पूँजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	12.00	(डे) ...	12.00
जोड़ (पूरक)	12.00	0.04	12.04
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
2851-Village and Small Industries	...	0.01	(गc) 0.01
2852-Industries	...	0.01	(घd) 0.01
Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
6860-Loans for Consumer Industries	12.00	(डे) ...	12.00
Total (Supplementary)	12.00	0.04	12.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत सचिवालय - स्थापना को स्वच्छता कार्यान्वयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(a)	Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Secretariat Establishment for Swachata Action Plan (SAP).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i)	पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में साधारण विद्युत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 1 करोड़)	(b) (i)	Meeting additional requirement (₹ 1 crore) in Scheme for In-Situ Up-gradation of Plain Powerloom as Grants for creation of Capital Assets.
(ii)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 3.80 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.20 करोड़) डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(ii)	Meeting additional requirement in Design and Technical Up-gradation Scheme as Grants-in-Aid General (₹ 3.80 crore) and Other Charges (₹ 0.20 crore).
(iii)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 0.20 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 1.80 करोड़) हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(iii)	Meeting additional requirement in Handicraft Artisans Comprehensive Welfare Scheme as Advertising and Publicity (₹ 0.20 crore) and Other Charges (₹ 1.80 crore).
(iv)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 1.80 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.20 करोड़) बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(iv)	Meeting additional requirement in Baba Sahab Ambedkar Hastshilp Yojna as Grants-in-Aid General (₹ 1.80 crore) and Other Charges (₹ 0.20 crore).
(v)	विज्ञापन एवं प्रचार में विपणन सहायता एवं सेवा (₹ 0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 9.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.30 करोड़) हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(v)	Meeting additional requirement in Marketing Support and Services as Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore), Grants-in-Aid General (₹ 9.40 crore) and Other Charges (₹ 0.30 crore).
(vi)	विज्ञापन एवं प्रचार के तहत (₹ 0.30 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 4.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 0.30 करोड़) अनुसंधान एवं विकास हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(vi)	Meeting additional requirement in Research and Development as Advertising and Publicity (₹ 0.30 crore), Grants-in-Aid General (₹ 4.40 crore) and Other Charges (₹ 0.30 crore).
(vii)	सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹ 2.40 करोड़) एवं अन्य प्रभार के तहत (₹ 1.60 करोड़) मानव संसाधन विकास हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना	(vii)	Meeting additional requirement in Human Research Development as Grants-in-Aid General (₹ 2.40 crore) and Other Charges (₹ 1.60 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	<p>(i) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में (₹ 25.09 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.41 करोड़), वेतन सहायता अनुदान के तहत (₹ 3.50 करोड़) एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.50 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वयन योजना के तहत एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 0.20 करोड़)</p> <p>(ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) के तहत रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान के लिए स्वच्छता कार्यान्वयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(iii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 8 करोड़), लघु निर्माण कार्य के तहत (₹ 0.85 करोड़) एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वयन योजना के तहत विद्युत करघा क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(iv) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 6 करोड़), एवं सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़) स्वच्छता कार्यान्वयन योजना के तहत साधारण विद्युत करघा की स्वस्थाने उन्नयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(v) कार्यालय व्यय (₹ 0.15 करोड़) के तहत विकास आयुक्त हथकरघा को स्वच्छता कार्य योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(vi) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत विकास आयुक्त हस्तशिल्प को स्वच्छता कार्यान्वयन योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p>	(c)	<p>(i) Meeting requirement amount in Integrated Wool Development Programme as Grants-in-Aid General (₹ 25.09 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.41 crore) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) and Grants-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.20 crore).</p> <p>(ii) Meeting additional requirement (₹ 0.50 crore) for Grants towards Development of Silk Industry under Grants-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP).</p> <p>(iii) Meeting additional requirement in Integrated Scheme for Powerloom Sector Development as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8 crore), Minor Works (₹ 0.85 crore) and Grants-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.20 crore).</p> <p>(iv) Meeting additional requirement in Scheme for In-situ Upgradation of Plain Powerloom as Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) and Grants-in-aid General for Swachata Action Plan (SAP) (₹ 0.10 crore).</p> <p>(v) Meeting additional requirement (₹ 0.15 crore) for Development Commissioner for Handloom as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).</p> <p>(vi) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Development Commissioner for Handicraft as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).</p>
	<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>		<p>Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(घ)	<p>(i) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत वस्त्र आयुक्त को स्वच्छता कार्य योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(ii) कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़) के तहत पटसन आयुक्त को स्वच्छता कार्य योजना हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>(iii) आर्थिक सहायता (₹ 6.78 करोड़) के तहत मूल्य समर्थन के लिए भारतीय जूट निगम को सब्सिडी हेतु अतिरिक्त जरूरत पूरी करना</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए एसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p>	(d)	<p>(i) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Textile Commissioner as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).</p> <p>(ii) Meeting additional requirement (₹ 0.10 crore) for Jute Commissioner as Office Expenses for Swachata Action Plan (SAP).</p> <p>(iii) Meeting additional requirement (₹ 6.78 crore) for Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
(ङ)	<p>दिनांक 26.9.2001 के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कारण अपने कामगारों को संशोधित मजदूरी के भुगतान के वजह से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड की संस्वीकृत (₹ 12.00 करोड़) के आकस्मिक अग्रिम का समायोजन के लिए। अनुदान के स्वीकृत/राजस्व भाग में समतुल्य निधि अभ्यर्पित की जाएगी।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।</p>	(e)	<p>For recoupment of Contingency Advance (₹ 12 crore) sanctioned to British India Corporation Limited on account of payment of revised wages to its workers arising out of the Hon'ble Allahabad High Court order dated 26.9.2001. An equivalent amount of funds would be surrendered from the Voted/Revenue section of the Grant.</p> <p>The above expenditure will not entail a cash outgo;</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1839.69	1839.69
पूंजी	Capital	...	1.08	1.08
जोड़	Total	...	1840.77	1840.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1840.78	1840.78
राजस्व	Revenue	...	1839.70	1839.70
पूंजी	Capital	...	1.08	1.08
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत स्वच्छता कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 43.20 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान करना (i) स्वदेश दर्शन ₹ 18 करोड़ (ii) प्रसाद- तीर्थ पुनरुद्धार और आध्यत्मिक बढ़ावा अभियान ₹ 3.60 करोड़ (iii) आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और प्रोत्साहन ₹ 3.60 करोड़ (iv) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण ₹ 18 करोड़ ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grants is required for:

providing funds of ₹ 43.20 Crore for implementation of Swachhta Action Plan (SAP) under schemes (I) Swadesh Darshan – ₹ 18 Crore (II) PRASAD – Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive – ₹ 3.60 Crore (III) Domestic Publicity & Promotion including Hospitality – ₹ 3.60 Crore (IV) Capacity Building for Service Providers – ₹ 18 Crore.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4136.09	1133.23	5269.32
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
जोड़	Total	4136.09	1193.23	5329.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	3.14	3.15
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	3.14	3.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4136.10	1196.37	5332.47
राजस्व	Revenue	4136.10	1136.37	5272.47
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	3.14 (का)	3.14
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	3.14	3.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.04 करोड़ रु.), मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.10 करोड़ रु.), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 0.50 करोड़ रु.)	(a)	(i)	Providing Grants-in-aid General under the schemes of Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 2.04 crore), Pre Matric Scholarship (₹ 0.10 crore), Post Matric Scholarship (₹ 0.50 crore)
	(ii)	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 0.50 करोड़ रु.), के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के राजस्व/प्रभारित भाग में उपलब्ध बचत- अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय किसी भी अतिरिक्त नकद निकासी को लागू नहीं करेगा।		(ii)	Grants for creation of capital assets under the scheme of Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) (₹ 0.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	(i)	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़ रु.) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़ रु.) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)	(i)	Providing Grants-in-aid General under the schemes of Pre Matric Scholarship (₹ 0.01 crore) and under Post Matric Scholarship (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	88.30	17356.59	17444.89
पूंजी	Capital	90.00	19242.81	19332.81
जोड़	Total	178.30	36599.40	36777.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	4.00	0.03	4.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	4.00	0.04	4.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	182.30	36599.44	36781.74
राजस्व	Revenue	92.30	17356.62	17448.92
पूंजी	Capital	90.00	19242.82	19332.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2058-लेखन सामग्री और छपाई	2058-Stationery and Printing	...	0.01 (का)	0.01
2216-आवास	2216-Housing	4.00 (खब)	0.01 (गc)	4.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	4.00	0.03	4.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	4.00	0.04	4.04
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary grants are required for:		
(क)	भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय (₹ 0.01 करोड़) हेतु नए प्रयोजन शीर्ष पेशेवर सेवाओं को खोलना। अनुदान के इसी भाग में उपबन्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।	(a)	Opening of new object head Professional Services for Govt. of India Stationery Office (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	ऑडिटोरियम में विशेषीकृत प्रणालियों के रखरखाव और एमएससीपी, डीए और कार्य भारित कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से संबंधित व्यय को पूरा करना (₹ 4 करोड़)। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपबन्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Meeting the expenditure related to maintenance of specialized systems in Auditorium and payment of arrears of MACP, DA and increment of work charged Staff (₹ 4 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;	
(ग)	बेदखल निरीक्षकों द्वारा भाड़े में लिए गए श्रमिकों को भुगतान करने के लिए नए प्रयोजन शीर्ष को खोलना (₹ 0.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपबन्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।	(c)	Opening of new object head for making payment to labourers hired by Eviction Inspectors (₹ 0.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	रिजर्व फण्ड शीर्ष को किए जाने वाले अंतरण के तहत उपलब्ध कराए गए निधियों वाले एसबीएम से संबंधित सकल बजटीय सहायता से मिलान करने हेतु सुधार (₹ 369.40 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपबन्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(d)	rectification to match the Gross Budgetary Support in respect of Swachh Bharat Mission with funds provided under the transfer to reserve funds heads (₹ 369.40) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ड)	(क) भारत के संविधान क्लब का जीर्णोधार (₹ 1 करोड़) (ख) भारत सरकार प्रेस का जीर्णोधार (₹ 5 करोड़) (ग) वित्त (राजस्व) और लेखा के चल रहे कार्यों हेतु आवश्यकता (₹ 130 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपबन्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(e)	(i) Re-development of Constitution Club of India (₹ 1 crore) (ii) Re-development of Government of India Press (₹ 5 crore) (iii) On-going works of Finance (Revenue) and Audit (₹ 130 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	8405.99	8406.99
पूंजी	Capital	4.00	799.29	803.29
जोड़	Total	5.00	9205.28	9210.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	93.42	93.42
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	93.42	93.42
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	9298.70	9303.70
राजस्व	Revenue	1.00	8499.41	8500.41
पूंजी	Capital	4.00	799.29	803.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	8.00 (का)	8.00
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	85.42 (खब)	85.42
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	93.42	93.42

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) प्रदान करना।
अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (ईएपी घटक) के तहत सहायता-अनुदान सामान्य (₹ 6 करोड़) और पूंजी आस्तियों (₹ 36.71 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करता।
(ii) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (कार्यक्रम घटक) के तहत सहायता-अनुदान सामान्य (₹ 6 करोड़) और पूंजी आस्तियों (₹ 36.71 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करता।
अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing Grants-in-aid General under National Hydrology Project (₹ 8 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) (i) providing Grant-in-aid General (₹ 6 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 36.71 crore) under National Hydrology Project (EAP Component).
(ii) providing Grant-in-aid General (₹ 6 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 36.71 crore) under National Hydrology Project (Programme Component).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22556.02	22556.02
पूँजी	Capital	...	38.65	38.65
जोड़	Total	...	22594.67	22594.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूँजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22594.71	22594.71
राजस्व	Revenue	...	22556.06	22556.06
पूँजी	Capital	...	38.65	38.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (कa)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	स्वच्छता कार्य योजना के तहत (क) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 2 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.80 करोड़)	(a)	(i)	For Swachhta Action Plan under (a) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 2 crore) and (b) GIA General under Child Protection Scheme (₹ 1.80 crore).
	(ii)	अन्य व्यय के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के निलंब खाते में लिधि के अंतरण हेतु मातृत्व लाभ कार्यक्रम के लिए व्यय को पूरा करना (₹ 9.70 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1946 करोड़)		(ii)	For meeting expenditure towards Maternity Benefit Programme for transfer of fund to Escrow account of States/UTs under OE (₹ 9.70 crore) and GIA General (₹ 1946 crore).
	(iii)	लघु शीर्ष-789 एससी घटक के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान नया प्रयोजन शीर्ष खोलने के लिए ₹ 221.40 करोड़।		(iii)	For opening new object head-GIA General under Minor head-789 SC component.(₹ 221.40 crore).
	(iv)	किशोर बालिकाओं के लिए योजना के अन्तर्गत नया शीर्ष-व्यावसायिक सेवाएं खोलने के लिए (₹ 0.11 करोड़)।		(iv)	For opening of new head-Professional Services under scheme for Adolescent Girls(₹ 0.11 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 5.92 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़)	(b)		for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 5.92 crore) and GIA General under Child Protection Scheme (₹ 1.20 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)		सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 54 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़)	(c)		for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 54 crore) and GIA General under Child Protection Scheme(₹ 8 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)		सहायता कार्य योजना के तहत (i) आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 3.60 करोड़) और बाल संरक्षण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)	(d)		for Swachhta Action Plan under (i) grant for creation of capital assets under Anganwadi Services (₹ 3.60 crore) and (ii) GIA General under Child Protection Scheme(₹ 1 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1888.46	1888.46
पूंजी	...	54.75	54.75
जोड़	...	1943.21	1943.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी
जोड़	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	...	1943.23	1943.23
राजस्व	...	1888.48	1888.48
पूंजी	...	54.75	54.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2204-खेल और युवा मामले	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(I)	युवा छात्रावास योजना के तहत छात्रावास प्रबंधक और वॉर्डन के मानदेय के लिए अन्य शुल्क (₹ 0.20 करोड़)।	(a)	(I)	Other Charges for providing Honoraria to the Hostel Managers and Wardens under Youth Hostel Scheme (₹0.20 crore).
	(II)	राष्ट्रीय खेल संघों के लिए सहायता योजना के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान शीर्ष (₹ 80 करोड़) के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों में महत्वपूर्ण ढांचागत अंतराल को भरने के लिए निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।		(II)	Providing Grants for creation of capital assets head to fill up the critical infrastructural gaps at Sports Authority of India regional centres under the scheme of Assistance to National Sports Federations (₹ 80 crore).
	(III)	खेलों में मानव संसाधन विकास योजना के तहत अतिरिक्त स्कॉलरशिप/स्टाइपेंड (₹ 0.40 करोड़) प्रदान करना।		(III)	Providing additional Scholarship/ Stipend under the Scheme of Human Resource Development in Sports (₹ 0.40 crore).
	(IV)	भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (i) 7वें वेतन आयोग के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन घटक (₹ 74 करोड़) (ii) चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 80 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल अकादमी / प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सामान्य श्रेणी के सहायता अनुदान सामान्य श्रेणी (₹ 10 करोड़), अनुसूचित जाति घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष (₹ 15 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष (₹ 10 करोड़)।		(IV)	For meeting additional requirement under Sports Authority of India for (i) 7th CPC under GIA Salaries component (₹ 74 crore), (ii) completion of ongoing capital projects/ new projects under Grants for creation of capital assets component (₹ 80 crore) and (iii) to run the National Sports Academies/ training Centers providing additional GIA - General head under General category (₹10 crore), providing additional GIA General head under SC category (₹15 crore) & providing additional GIA General head under ST category (₹10 crore).
	(V)	खेलो इंडिया योजना के पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹150 करोड़ रुपये) पूंजीगत घटक के तहत अवसरचना परियोजनाओं, चल रहे पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		(V)	Providing Grants for creation of Capital Assets under the Scheme of Khelo India for Infra projects, completion of ongoing capital projects/ new projects under capital component (₹ 150 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(I)	भारतीय खेल प्राधिकरण को निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त राशि देगा (i) 7वें वेतन आयोग के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 5 करोड़) (ii) चल रही पूंजी परियोजनाओं / नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत (₹10 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल अकादमी / प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त राशि प्रदान करना (₹ 5 करोड़)।	(b)	(I)	Providing additionality for Sports Authority of India under (i) GIA Salaries component on account of the 7th CPC (₹ 5 crore), (ii) completion of ongoing capital projects/ new projects under Grants for creation of capital assets component (₹ 10 crore) and (iii) providing additionality under GIA - General head under General category to run the National Sports Academies/ training Centers (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।